NAAC Grade 'A'
NIRF Rank 48 (वर्ष 2023)

सूचना विवरणिका

2023 - 2024

दयाल सिंह कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

कॉलेज के विषय में........

दयाल सिंह कॉलेज की उत्पत्ति दैनिक अख़बार 'द ट्रिब्यून', पंजाब यूनिवर्सिटी और 'पंजाब नेशनल बैंक' के संस्थापक, सरदार दयाल सिंह मजीठिया की दूरदर्शिता के कारण हुई है| उन्होंने 1895 में एक धर्मनिरपेक्ष कॉलेज बनाने के प्रस्ताव दिया और एक शैक्षणिक ट्रस्ट निर्माण के लिए अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी। उनके प्रयास से दयाल सिंह कॉलेज 1910 में लाहौर में स्थापित किया गया था। भारत के विभाजन के बाद यह कॉलेज पहले करनाल और 1952 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसे 1959 में राजधानी दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया| वर्तमान स्थान पर यह 16.10.1962 से कार्यरत है। 1963-1967 से महाविद्यालय ने दो पालियों (सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक) में कार्य करना शुरू किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन् 1978 में इसे एक विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थान के रूप में ग्रहण किया।

NIRF (MHRD) 2017 - 8th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2018 - 25th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2019 - 20th Rank (All India)
NIRF (MHRD) 2020 - 21st Rank (All India)
NIRF (Ministry of Education Government of India) 2021 – 29th Rank (All India)
NIRF (Ministry of Education Government of India) 2022 - 35th Rank (All India)
NIRF (Ministry of Education Government of India) 2023 - 48th Rank (All India)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रमाणित
NAAC Grade "A" CGPA (3.15)-2023

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare
Dyal Singh College
Lodhi Road, New Delhi, a Constituent College of University of Delhi,
Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.15 on four point scale
at A grade
valid up to September 05, 2027

Date : September 06, 2022

Director

EC(SC)/122/2nd Cycle/DLCOGN20788

प्राचार्य की क़लम से......

कॉलेज अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देता रहा है। आज दयाल सिंह कॉलेज कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, कंप्यूटर और विज्ञान पाठ्यक्रमों की सुविधाओं के माध्यम से विदेशी छात्रों सहित 6000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है।
कॉलेज के पास अपने छात्रों और संकाय सदस्यों की शैक्षणिक और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। इनमें एक लाख से अधिक पुस्तकों और विभिन्न ई-संसाधनों के लिंक के साथ एक समृद्ध पुस्तकालय शामिल है। विज्ञान विभागों में शिक्षण और अनुसंधान दोनों गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित (सुव्यवस्थित) प्रयोगशालाएँ हैं। कंप्यूटर विभाग ने कंप्यूटर सुविधाओं को भी अत्याधुनिक किया है।

कॉलेज शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए काम करता है। हमारा उद्देश्य आज के युवाओं को कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के योग्य बनाना कॉलेज का लक्ष्य रहा है। हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल इन बातों का ध्यान रखता है। खेल व्यक्तित्व विकास के स्तंभों में से एक रहा है। हमारे कॉलेज ने अपने कठोर शैक्षणिक मानकों के साथ, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों की एक जीवंत परंपरा को बनाए रखा है। हमारे छात्र खेल, रचनात्मक लेखन ,रंगमंच, वाद-विवाद, संगीत, फोटोग्राफी और ललित कला आदि के क्षेत्र में सक्रियता के साथ अपने शैक्षणिक जीवन को पूरा करते हैं। कॉलेज द्वारा कई शैक्षणिक और सह पाठयक्रम के आदान प्रदान को आसान बनाने हेतु ऑडिटोरियम, एम्फीथिएटर और सेमिनार रूम को नवीनतम साउंड और प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है|

मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और कॉलेज में शामिल होने वाले छात्रों की यात्रा को यादगार बनाने की स्थिति में हूँ। आइए हम सब मिलकर सीखने की प्रक्रिया को और भी रोमांचक बनाने के लिए अपने विचारों, सपनों और लक्ष्यों को साझा करें। मैं कॉलेज में शामिल होने वाले छात्रों की सफलता और दयाल सिंह कॉलेज में सुखद प्रवास की कामना करता हूँ ।

शुभकामनाएँ!

प्रो. वी. के. पालीवाल
प्राचार्य

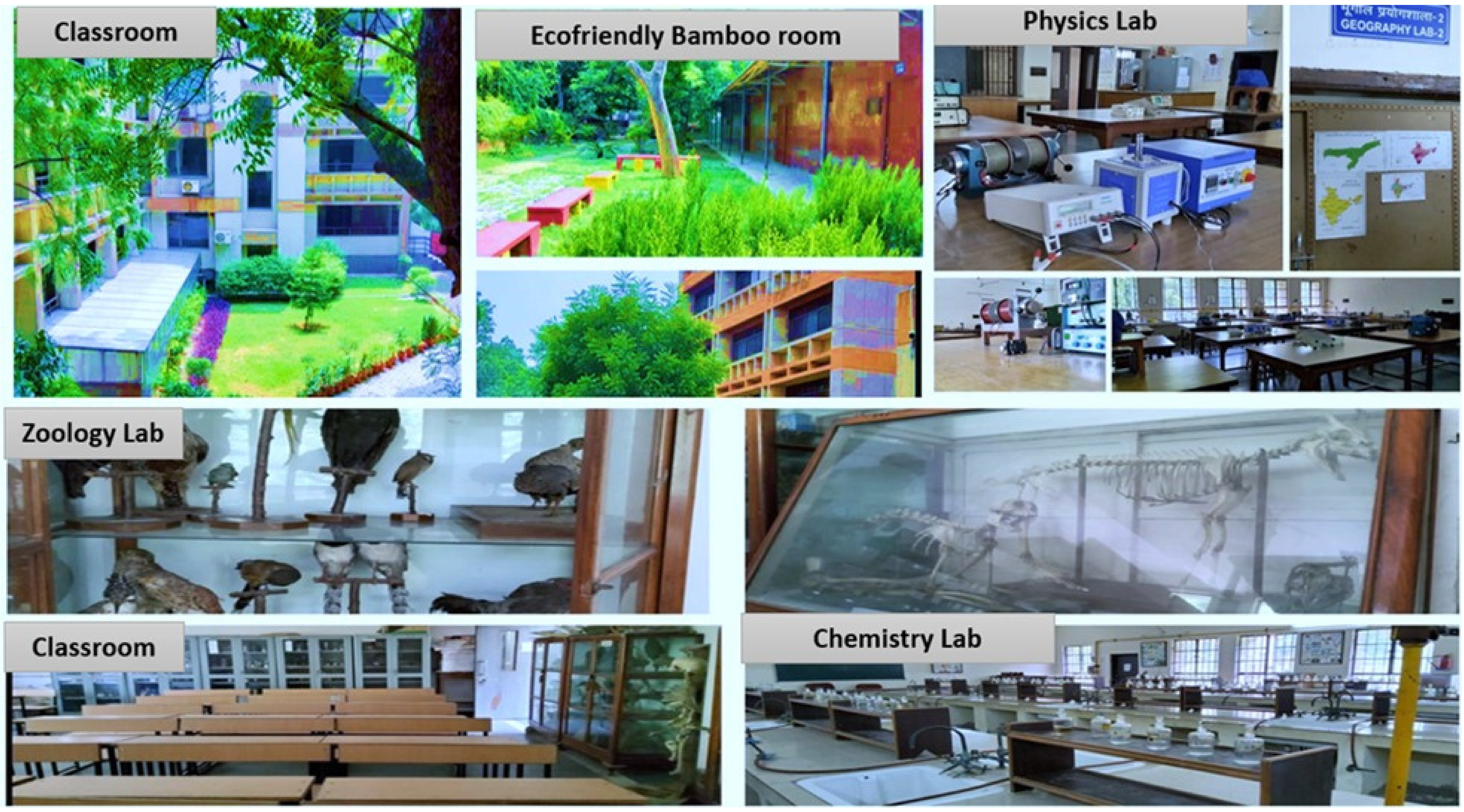

चित्र: प्रकृति की गोद में कक्षाएँ, सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित जंतुशास्त्र और रसायन विज्ञान प्रयोगशालाएँ

चित्र: खेल सुविधाएँ

अच्छी तरह से सुसज्जित भौतिकी और भूगोल प्रयोगशाला

चित्र: कंप्यूटर संसाधन केंद्र, सभागार, संगोष्ठी हॉल

अंतर्वस्तु

महत्वपूर्ण सूचना | 01
संपर्क व्यक्ति | 01
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डीलिंग सहायक | 02
समितियाँ | 02
कर्मचारी परिषद् समितियां | 04
फैकल्टी प्रोफाइल | 08
कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं | 18
पुरस्कार | 21
स्नातक कार्यक्रम -2023 में पंजीकरण और प्रवेश | 23
सामान्य दिशानिर्देश: दिल्ली विश्वविद्यालय | 23
लघुरूप | 41
अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (UGCF)-2022 | 43
आरक्षण और छूट नीतियाँ | 46
आचार संहिता | 54
अध्यादेश | 55
खेल और ईसीए कोटा प्रवेश सीटें | 70 - 71
शुल्क संरचना 2023 - 2024 | 73
आवंटन सह प्रवेश अनुसूची 2023 | 74

महत्वपूर्ण सूचना

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी, प्रवेश प्रपत्र और अन्य दस्तावेज मौजूदा नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। भविष्य में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी और वर्तमान विवरणिका का स्थान लेगा। सभी प्रवेश अकादमिक/श्रेणी/अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी/विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अधीन अनंतिम होंगे। कॉलेज/विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कॉलेज इस जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है, जो अनजाने में हुई चूक, लिपिकीय त्रुटियों या किसी अन्य कारण से हो सकता है।

कॉलेज बिना किसी पूर्व सूचना के बुलेटिन के किसी भी भाग को उपयुक्त रूप से संशोधित करने, अद्यतन करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संपर्क करें

	नाम	संपर्क सूत्र	ईमेल आईडी
प्राचार्य	प्रो. वी. के. पालीवाल	9650815246	principal@dsc.du.ac.in
उप प्राचार्य	प्रो. नवनीत मानव	9871076666	navneetmanav@dsc.du.ac.in
बर्सर	डॉ. शालिनी अग्रवाल	9810222693	shalini.aggarwal@dsc.du.ac.in
नोडल अधिकारी (प्रवेश)	डॉ. वन्दना	9811741104	vandana.chemistry@dsc.du.ac.in
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)	श्री आर. के. स्वशांति	9810804758	rameshks.ao@dsc.du.ac.in
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)	श्री ए. के. सोनी	9857160954	arvindksoni@dsc.du.ac.in
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)	श्री विरेन्द्र सिंह	8860877323	virendersingh@dsc.du.ac.in
अनुभाग अधिकारी (लेखा)	श्री संजय शर्मा	9013353217	sanjayksharma@dsc.du.ac.in
लोक सूचना अधिकारी	डॉ. कमलजीत सिंह	9811483440	pio@dsc.du.ac.in

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सहायक

श्री दीपक :
बी.एससी. (ऑनर्स): फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस।; बीएससी शारीरिक विज्ञान
ईमेल: deepak2@dsc.du.ac.in

सुश्री राधा :
बी कॉम (ऑनर्स); बी० ए० (ऑनर्स) अंग्रेजी
ईमेल: radha@dsc.du.ac.in

सुश्री रूपा :
बी.ए. (ऑनर्स): भूगोल, अर्थशास्त्र, उर्दू, पंजाबी, दर्शनशास्त्र; बीएससी (ऑनर्स) गणित, बी.एससी. जीवन विज्ञान
ईमेल: rupa1@dsc.du.ac.in

श्री पंकज :
बी.ए., बी.ए. (ऑनर्स): इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत
ईमेल: pankaj1@dsc.du.ac.in

समितियाँ

शिकायत निवारण समिति

प्रो. वी. के. पालीवाल (अध्यक्ष)
डॉ. श्वेता वत्स (सदस्य)
डॉ. सूरज भान (सदस्य)
डॉ. नेहा संगवान

डॉ. विजय कुमार वर्मा (संयोजक)
डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार (सदस्य)
डॉ. गरिमा तोमर (सदस्य)
डॉ. अनिल कुमार (सदस्य)

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

सुश्री अंकिता गुप्ता (पीठ अधिकारी)
प्रो. नवनीत मानव (शिक्षक)
श्री नरेंद्र सिंह पठानिया (गैर-शिक्षण)

सुश्री अनुराधा गाँधी (कानून विशेषज्ञ)
डॉ. मनोज कुमार (शिक्षक)
सुश्री संगीता बिष्ट (गैर-शिक्षण)

आदित्य भारद्वाज - बी.एससी. (भौतिक विज्ञान) रसायन विज्ञान के साथ - छात्र सदस्य
नितिन गुर्जर - बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास - छात्र सदस्य

रैगिंग विरोधी समिति

डॉ. सलोनी गुलाटी (संयोजक)
डॉ. रोमा कात्याल
डॉ. उमा शंकर सिंह
डॉ. दीपकलाल कुजूर
डॉ. अमिता दुआ
डॉ. शिवानी डबास

डॉ. प्रियंका शुक्ला
डॉ. पी.के. पांडे
डॉ. एन. सेल्वा राज.
डॉ. इमामिल हक़
डॉ. रितिका

विशेष श्रेणियाँ प्रवेश सक्षम समिति

डॉ. विराज काफले (संयोजक)
डॉ. निखिल जैन
डॉ. नवीन गौड़
डॉ. पप्पू राम मीना
डॉ. दलजीत सिंह
डॉ. विन्नी अरोड़ा
डॉ. तुषार कांति देव वर्मा
डॉ. अंशिका

धूम्रपान मुक्त परिसर समिति

डॉ. अमित कांत अवस्थी (संयोजक)
डॉ. मीनल संभोर
डॉ. शिल्पी पाहूजा
डॉ. वरुण नायक
डॉ. अमृतपाल कौर

शिकायत निवारण समिति

प्रो. अमिता मलिक (संयोजक)
प्रो. नीरज सूद
डॉ. कोकिला सेहगल
डॉ. विनोद कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष
श्री सुरेंद्र बिश्नोई (जन्तु विज्ञान) छात्र सदस्य
श्री रमेश कुमार स्वशांति, प्रशासनिक अधिकारी

प्रवेश सहायता डेस्क

डॉ. बी. बी. सिंह (संयोजक)
डॉ. सार्थक गुप्ता
डॉ. चित्रा कोली
सुश्री आकांक्षा वर्मा
सुश्री रितिका ठकरान
डॉ. तुषार कांति देववर्मा

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

1. प्रो. वी.के.पालीवाल	अध्यक्ष
2. प्रो. अलका गुप्ता	निर्देशक
3. प्रो. हेमा बनाती	सदस्य
4. श्री केशव कुमार सैनी	सदस्य
5. प्रो. जसलीन कौर कालिया	सदस्य
6. श्री शीश पाल	सदस्य
7. डॉ. नीतू भट्टाचार्य	सदस्य
8. डॉ. निशांत कुमार	सदस्य
9. डॉ. राजेश कुमार अभय	सदस्य
10. डॉ. ज्योति पॉल	सदस्य
11. डॉ. विनोद, पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
12. श्री रमेश ए.ओ.	सदस्य

कर्मचारी परिषद् समितियाँ 2023-24

प्रो. वी. के. पालीवाल
प्राचार्य, अध्यक्ष, कर्मचारी परिषद्

डॉ. विवेक कुमार रजक
सचिव, कर्मचारी परिषद्

1	**प्रवेश समिति**	
	नोडल अधिकारी प्रवेश	डॉ. वंदना
	संयोजक (कला)	डॉ. रतन दीप कौर
	संयोजक (वाणिज्य)	डॉ. संदीप गर्ग
	संयोजक (विज्ञान)	डॉ. अनिता रानी
	संयोजक (बी. ए. प्रोग्राम)	डॉ. दिनेश पंवार
	सदस्य (बी. ए. प्रोग्राम)	डॉ. नेहा सागर, डॉ. अमृतपाल, डॉ. लखवंत सिंह, डॉ. श्वेता सिंह
2	**विशेष श्रेणी प्रवेश**	
	संयोजक	डॉ. विराज काफले
	सदस्य	श्री निखिल जैन, डॉ. नवीन गौर, डॉ. पप्पू राम मीना, डॉ. दलजीत सिंह, डॉ. विन्नी अरोड़ा, डॉ. तुषार कांति देववर्मा, डॉ. अंशिका
3	**शिकायत समिति**	
	संयोजक	डॉ. विजय कुमार वर्मा
	सदस्य	श्री सूरज भान, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार, डॉ. श्वेता वत्स, डॉ. नेहा सांगवान, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. गरिमा तोमर
4	**शिकायत उपसमिति**	
	संयोजक	डॉ. मनीष गौतम
5	**सहायता केंद्र**	
	संयोजक	डॉ. बी. बी. सिंह
	सदस्य	सुश्री आकांक्षा वर्मा, डॉ. सार्थक गुप्ता, सुश्री रितिका ठकरान, डॉ. तुषार कांति देववर्मा
6	**खेल समिति**	
	संयोजक	डॉ. संदीप मेहता
	सदस्य	प्रो. अमित कुमार, श्री शीश पाल, डॉ. इंद्र राज कुमावत, डॉ. केशव कुमार सैनी, डॉ. जितेंद्र चावला, डॉ. नरेंद्र नेगी
7	**समय सारिणी समिति**	
	समन्वयक	श्री सुनील कुमार
	संयोजक (कला)	डॉ. कमलजीत सिंह
	संयोजक (वाणिज्य)	डॉ. शालिनी अग्रवाल
	संयोजक (विज्ञान)	डॉ. बी. बी. सिंह

8	**कला एवं संस्कृति समिति**	
	समन्वयक	डॉ. प्रकाश कुमार पटेल
	संयोजक, नाट्य समिति	डॉ. मधुलिका
	सदस्य	डॉ. आयशा इरफ़ान, डॉ. सिमरन चड्ढा, डॉ. जैनेंद्र कुमार, डॉ. महाश्रद्धा यादव, डॉ. प्रमोद, डॉ. अभय कुमार
	संयोजक, संगीत समिति	डॉ. कमलजीत सिंह
	सदस्य	डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. उमा, डॉ. जितेंद्र चावला, डॉ. नरेंद्र नेगी, डॉ. दिव्या खट्टर, डॉ. दिया शर्मा, डॉ. प्रिया, डॉ. शिवरंजनी सिंह
	संयोजक, नृत्य समिति	डॉ. अलका शर्मा
	सदस्य	डॉ. संगीता पोरवाल, डॉ. रतन दीप कौर, डॉ. हरमीत कौर, डॉ. मौमिता सरकार, डॉ. मीनल संभोर, डॉ. नेहा सांगवान, डॉ. सौम्या रावत, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. श्वेता वत्स, डॉ. शीतल राजपाल
	संयोजक, वाद विवाद समिति	डॉ. विजय कुमार वर्मा
	सदस्य	डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. राजेश कुमार राव, श्री हरि नारायण साहू, डॉ. दिनेश कुमार, डॉ. अमरजीत कौर, डॉ. अबु ज़हिर रब्बानी, डॉ. अभय कुमार, डॉ. महाश्रद्धा यादव
	संयोजक, प्रश्नोत्तरी समिति	डॉ. केदार कुमार मंडल
	सदस्य	डॉ. कल्पा मंडल, डॉ. चितरंजन कुमार, डॉ. प्रियंका शुक्ला, डॉ. नमिता, डॉ. हरेंद्र
	संयोजक, रचनात्मक लेखन समिति	डॉ. मौमिता सरकार
	सदस्य	प्रो. नीता त्रिपाठी, डॉ. कैलाश धानुक, डॉ. नीलेश कुमार, डॉ. जैनेंद्र कुमार, डॉ. यामिनी, डॉ. मर्लिन, डॉ. चितरंजन कुमार, डॉ. प्रशांत, डॉ. मीना, डॉ. अब्दुल्ला
9	**एंटी रैगिंग समिति**	
	संयोजक	डॉ. सलोनी गुलाटी
	सदस्य	डॉ. रोमा कातियाल, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. प्रियंका त्रिपाठी, डॉ. शिवानी डबास, डॉ. रितिका, डॉ. दीपक लाल कुजूर, डॉ. उमा शंकर सिंह, डॉ. अमिता दुआ, डॉ. एन. सेल्वाराज, डॉ. मोहम्मद इनामुल हक
10	**पर्यावरण क्लब**	
	संयोजक	डॉ. स्वाति ठाकुर
	सदस्य	डॉ. अंजना माथुर, डॉ. देव राज सिंह, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. राम बक्श, डॉ. अमित कांत अवस्थी, डॉ. अनिकेत कुमार, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. रोहतास कुमार, डॉ. अभय शंकर, डॉ. संगीता पोरवाल, डॉ. दिनकर, डॉ. मीना
11	**उद्यान समिति**	
	संयोजक	डॉ. राजीव कुमार
	सदस्य	डॉ. आयशा इरफ़ान, डॉ. अमिता दुआ, डॉ. नमिता, सुश्री ऋतु, डॉ. राम बक्श, डॉ. नेल्ली लैसराम, डॉ. सौम्या रावत, डॉ. सुनीता चौधरी
12	**कैंटीन समिति**	
	संयोजक	विवेक रत्ना
	सदस्य	डॉ. प्रमोद पांडे, डॉ. शांतनु कुमार दास, डॉ. केदार कुमार मंडल, डॉ. दिनेश पंवार, डॉ. चारु चंद्रा, डॉ. राजेश कुमार पांडे, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. रुचि रैना

13	**पुस्तकालय समिति**	
	संयोजक	डॉ. उमा शंकर सिंह
14	**नई परियोजना समिति**	
	संयोजक	डॉ. सुजीत ठाकुर
	सदस्य	डॉ. विजय पाल, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार
15	**महाविद्यालय पत्रिका समिति**	
	संयोजक	डॉ. अलका शर्मा
16	**वेब विकास समिति**	
	संयोजक	डॉ. आर. के. अभय
	सदस्य	डॉ. विनोद कुमार, डॉ. संजीव मलिक, डॉ. अमित कुमार, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. अभय शंकर प्रसाद, डॉ. एन. सेल्वाराज, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. रश्मि यादव
17	**सावित्री बाई फुले अध्ययन मंडल**	
	संयोजक	डॉ. राजकुमार
	सदस्य	प्रो. मिनाक्षी, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. रमाशंकर कुशवाहा, डॉ. नेहा टोप्पो, श्री भरत लाल मीना, डॉ. कैलाश धानुक, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. ऋतु, डॉ. सुनीता देवी, डॉ. हरेंद्र कुमार
18	**विवेकानंद अध्ययन मंडल**	
	संयोजक	डॉ. मनोज कुमार
	सदस्य	डॉ. नवीना मेहन, डॉ. शांतनु कुमार दास, डॉ. बिलाश रंजन दास, डॉ. कविता वर्मा, डॉ. हिमांशु शर्मा
19	**शुल्क रियायत समिति**	
	संयोजक	डॉ. वंदना
	सदस्य	डॉ. समीक्षा ठाकुर, डॉ. अनिता रानी, डॉ. पी. सुरेश, श्री भरत लाल मीना, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. अमित कांत अवस्थी, डॉ. रश्मि पंवार
20	**एडवेंचर क्लब**	
	संयोजक	डॉ. प्रकाश कुमार पटेल
	सदस्य	सुश्री वंदना तुलस्यान, डॉ. विजय पाल, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. हरि नारायण साहू, डॉ. अनिकेत कुमार, डॉ. हरमीत कौर
21	**महिला सलाहकार समिति**	
	संयोजक	डॉ. कल्पा मंडल
	सदस्य	प्रो. मीनाक्षी, डॉ. मधुलिका, डॉ. चारु चंद्रा, डॉ. मीनल संभोर, डॉ. अमरजीत कौर, डॉ. कविता वर्मा, डॉ. प्रिया, डॉ. मीनू रानी, डॉ. सपना ग्रोवर, डॉ. शीतल राजपाल
22	**वित्त समिति**	
	संयोजक	श्री सूरज भान
	सदस्य	प्रो. अरुण पाल सिंह, डॉ. राज कुमार, डॉ. सोनिया ठक्कर, डॉ. थिरुमुर्थी आर., डॉ. नीलेश कुमार, डॉ. रितिका तंवर, डॉ. अब्दुल्ला, डॉ. सपना ग्रोवर

23	**छात्र सलाहकार समिति**	
	संयोजक	डॉ. निशांत कुमार
	सदस्य	डॉ. संदीप मेहता, डॉ. सुनील मांडीवाल, डॉ. उमा, डॉ. चारू चंद्रा, डॉ. चित्रा कोली, डॉ. निशा, डॉ. एमडी. अरशद
24	**गांधी अध्ययन मंडल**	
	संयोजक	डॉ. हिमांशु शर्मा
	सदस्य	डॉ. नरोत्तम विनीत, डॉ. यशपाल सिंह, डॉ. अपराजीता भट्टाचार्य, डॉ. विलास रंजन दास, डॉ. हरेंद्र यादव, डॉ. सुनीता चौधरी
25	**अकादमिक समिति**	
	समन्वयक	प्रो. अरुण पाल सिंह
	संयोजक (कला)	डॉ. अपराजीता भट्टाचार्य
	संयोजक (विज्ञान)	प्रो. जसलीन कौर
	संयोजक (कॉमर्स)	डॉ. थिरुमुर्थी आर.
	संयोजक (भाषा)	डॉ. सुनील मांडीवाल
26	**रखरखाव समिति**	
	संयोजक	डॉ. शालिनी अग्रवाल, बर्सर
	सदस्य	डॉ. विवेक कुमार रजक, प्रो. अनिल नैन, डॉ. नवीन गौर
27	**पूर्वोत्तर छात्र समिति**	
	संयोजक	प्रो. नवनीत मानव
	सदस्य	सुश्री वंदना तुलस्यान, डॉ. पेमा योमलो, डॉ. दीपक लाल कुजूर, डॉ. मेरेलिन लिंगदोह, डॉ. नेली लैसराम, डॉ. तुषार कांति देव वर्मा

कॉलेज संपर्क नंबर

011-24367819, 011-24365948
फैक्स: 011-24365606
ई-मेल : principal@dsc.du.ac.in
वेबसाइट: http://dsc.du.ac.in

किसी शिकायत के निवारण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर जाएं।
कॉलेज स्मोक, ड्रग और प्लास्टिक फ्री जोन है।

फैकल्टी प्रोफाइल

	विभाग और संकाय	योग्यता	पद
1	विनोद कुमार पालीवाल	एमएससी, पीएच.डी.	प्रो. और प्राचार्य

कला

	अंग्रेजी विभाग		
1	कोकिला सहगल माथुर	एम.ए., पीएच.डी.	प्रोफ़ेसर
2	पेमा योलमो	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
3	सचिन एन.	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
4	आएश इरफान	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	अंशुमान सिंह	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
6	शाइस्ता आमिर खान	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
7	सिमरन चड्ढा	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
8	सुरेश पी	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
9	विराज काफ्ले	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
10	मेरेलीन लिंगदोह वाई.ब्लाह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
11	डॉ. मौमिता सरकार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
12	शिवरंजनी सिंह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
13	यश पाल सिंह (टीआईसी)	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
14	**दिनेश पनवर**	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
15	यामिनी	**एम.ए., पीएच.डी.**	सहायक प्राध्यापक
16	अलका शर्मा	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
17	हिमांशु शर्मा	**एम.ए., पीएच.डी.**	सहायक प्राध्यापक
18	उमा	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक

	हिन्दी विभाग		
1	समीक्षा ठाकुर	एम.ए., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	विजय पाल सिंह	एम.ए., पीएच.डी.	सह-आचार्य
3	राजीव कुमार कुँवर	एम.ए., पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	पप्पू राम मीना	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	केदार कुमार मण्डल	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	प्रेम कुमार तिवारी	एम.ए., पीएच.डी.	सह-आचार्य
7	सुनील कुमार मंडीवाल	एम.ए., पीएच.डी.	सह-आचार्य
8	मधुलिका	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
9	रमाशंकर कुशवाहा	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
10	चित्तरंजन कुमार	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
11	ज्ञानेन्द्र कुमार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
12	राजेश कुमार राव (टीआईसी)	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
13	जैनेन्द्र कुमार	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
14	राजेश कुमार पांडे	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
15	जयपाल सिंह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
16	अभय कुमार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक

	दर्शन विभाग		
1			
	पंजाबी विभाग		
1	रविंदर सिंह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
2	कमलजीत सिंह (टीआईसी)	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
3	रतन दीप कौर	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
4	हरमीत कौर	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
5	दलजीत सिंह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
	अर्थशास्त्र विभाग		
1	संध्या वार्ष्णेय	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	रश्मि मित्तल	**एम.ए., एम. फ़िल.**	सह-आचार्य
3	वंदना तुलस्यान (टीआईसी)	**एम.ए., एम. फ़िल.**	सह-आचार्य
4	संजय कुमार	**एम.ए., एम. फ़िल.**	सह-आचार्य
5	रुचि गुप्ता	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	बिबेक कुमार रजक	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
	भूगोल विभाग		
1	हरलीन कौर	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	दीक्षा वाजपेयी	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
3	अंजना माथुर जगमोहन	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	सैयद ज़हीन आलम	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	स्वाति ठाकुर (टीआईसी)	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
6	श्वेता रानी	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
7	राजेश कुमार अभय	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक

	इतिहास विभाग		
1	डी. मंजीत	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	पूजा विज	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
3	आर के सिन्हा	एम.ए., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
4	शांतनु कुमार दास	**एम.ए., एम. फ़िल., पीएच. डी.**	सह-आचार्य
5	अमरजीत प्रसाद सिंह	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	नरोत्तम विनीत	एम.ए., एम. फ़िल.	सहायक प्राध्यापक
7	उमा शंकर सिंह	एम.ए., एलएलबी, पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
8	अपराजिता भट्टाचार्य (टीआईसी)	**एम.ए., एम. फ़िल., पीएच. डी.**	सहायक प्राध्यापक
9	जया ज्योतिका	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
10	हरि नारायण साहू	एम.ए., एम. फ़िल.	सहायक प्राध्यापक
	राजनीतिक विज्ञान विभाग		
1	राज कुमार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	निखिल जैन	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
3	निशांत कुमार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	विजय कुमार वर्मा	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच. डी., एल.एल.बी.	सह-आचार्य
5	कमल नयन चौबे	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	दीपक लाल कुजुर	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
7	मनोज कुमार	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
8	विवेक रत्न	**एम.ए., एम. फ़िल., पीएच. डी.**	सहायक प्राध्यापक
9	प्रकाश कुमार पटेल	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
10	सुजीत कुमार ठाकुर	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
11	सुनील कुमार	एम.ए., एम. फ़िल.	सहायक प्राध्यापक
12	सुधीर कुमार सिंह (टीआईसी)	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
13	**करुणाकर पात्रा**	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
14	बिलास रंजन दास	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
15	प्रमोद कुमार	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
16	दीपिका राठौड़	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक
17	अमृत पाल कौर	एम.ए., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सहायक प्राध्यापक

	वाणिज्य विभाग		
1	संगीता पोरवाल	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	मीनाक्षी	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	अंकिता गुप्ता	एम.कॉम	सह-आचार्य
4	रीता नागपाल (टीआईसी)	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	ममता चौधरी	एम.कॉम	सह-आचार्य
6	ज्योत्सना खेतान	एम.कॉम	सह-आचार्य
7	संदीप गर्ग	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
8	शीश पाल सिंहमर	एमबीए, सीएस	सह-आचार्य
9	सूरज भान	एम.कॉम., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
10	मधु सहरावत	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
11	शालिनी अग्रवाल	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
12	सोनिया ठक्कर विज	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
13	नीता त्रिपाठी	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
14	कनिका बजाज	एम.कॉम., एम. फ़िल.	सह-आचार्य
15	ज्योति पॉल	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
16	**आर. थिरुमूर्थी**	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीजीडीसीए पीएच.डी.	सह-आचार्य
17	नरेंद्र सिंह नेगी	एमसीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
18	आशिमा गोयल	एम.कॉम., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
19	दिव्या खट्टर	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
20	**दिया शर्मा**	एम.कॉम., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
21	शिवानी डबास	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
22	प्रियंका शुक्ला	एम.कॉम., एमबीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
23	अमरजीत कौर	एम.कॉम., एमबीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
24	सार्थक गुप्ता	एम.कॉम., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
25	जितेन्द्र चावला	एम.कॉम., एमबीए	**सहायक प्राध्यापक**
26	रितिका तंवर	एम.कॉम., एमबीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
27	अरुण कुमार	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
28	निशा	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
29	मीनू रानी	एम.कॉम., एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
30	नेहा सांगवान	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
31	श्वेता वत्स	एम.कॉम., एम. फ़िल.	**सहायक प्राध्यापक**

32	रितिका	एम.कॉम., एमबीए	**सहायक प्राध्यापक**
33	नेहा सागर	एमबीए	**सहायक प्राध्यापक**
34	अनिल कुमार	एम.कॉम., एमबीए	**सहायक प्राध्यापक**
35	चित्रा कोली	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
36	नेहा टोपो	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
37	तुषार कांति देबबर्मा	एम.कॉम	**सहायक प्राध्यापक**
38	विन्नी अरोरा	एमबीए	**सहायक प्राध्यापक**
39	अंशिका सिंह	एमबीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
	गणित विभाग		
1	ईश्वर रानी मनचन्दा	**एमएससी, पीएच.डी.**	सह-आचार्य
2	अरुण पाल सिंह (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	राजीव कुमार	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	पी के पांडे	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
5	दिनेश कुमार	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	नमिता	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
7	रितु	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
8	जे वी रमानी	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
9	अरविन्द कुमार	**एमएससी, एम.टेक., पीएच.डी.**	**सहायक प्राध्यापक**
10	मीनल समभोर	**एम.ए., एम.फ़िल.**	**सहायक प्राध्यापक**
11	राम बक्श	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
12	अब्दुल्लाह	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
13	सुनीता चौधरी	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
14	नीलेश कुमार	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
15	आकांक्षा वर्मा	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
16	मोनिका चौधरी	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
17	गौरव कुमार	एमएससी, एम. फ़िल	**सहायक प्राध्यापक**
18	कैलाश धानुक	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
19	भरत लाल मीना	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
20	प्रोभात पाचुंग	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
21	गरिमा तोमर	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
22	हरेन्द्र यादव	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**

	कंप्यूटर विज्ञान विभाग		
1	अनीता गोयल (टीआईसी)	एमसीए, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
2	हेमा बनाती	एमसीए, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	शीतल राजपाल	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
4	आभा जैन	एमटेक, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
5	शिल्पी पाहुजा	एमटेक, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
6	सपना ग्रोवर	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
7	मधू कुमारी	एमसीए, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
8	अमित कुमार	एमसीए	**सहायक प्राध्यापक**
9	रश्मि यादव	एमसीए	**सहायक प्राध्यापक**
10	विष्णु शंकर	एमसीए, एमटेक, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
	वनस्पति विज्ञान		
1	पूनम मेहता	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
2	नीरू भण्डारी	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	सलोनी गुलाटी	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
4	रोमा कात्याल	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
5	अनीता रानी	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	जसलीन कौर कालिया (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
7	नेली लैसरम	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
8	रुचि जैन रैना	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
9	दिनेश कुमार	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
10	दिनाकरण जे	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
11	**रश्मि पनवार**	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
	रसायन विज्ञान विभाग		
1	अजय कुमार भागी	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
2	किरण पाल सिंह	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
3	मदन पाल सिंह (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	स्वरिता गोपाल	एमएससी, एमटेक, पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	अरुणा चिकारा	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
6	अमित कुमार	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**

7	मनीष कुमार गौतम	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
8	अलका गुप्ता	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
9	वंदना	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
10	नवनीत मानव	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
11	अनिल कुमार नैन	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
12	कलावती मीना	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
13	कल्पा मण्डल	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
14	केशव कुमार सैनी	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
15	अमिता मालिक	एमएससी	**प्रोफ़ेसर**
16	अमिता दुआ	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
17	चारु चंद्रा	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
18	बृज बिहारी सिंह	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
19	इंद्रराज कुमवात	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
20	देव राज	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
21	प्रिया	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
22	कविता वर्मा	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
	भौतिकी विभाग		
1	**रेनू गुल्यानी**	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
2	विनोद कुमार पालीवाल	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	**नवीना मेहान**	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	नवीन गौर	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	इंद्र सेन राम	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	**जगजीवन राम बलई** (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
7	अर्पिता वाजपेयी	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
8	रजनी जैन	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
9	सीमा ट्रमा	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
10	अजय मिश्रा	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
11	वरुण मलिक	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
12	नेहा गुप्ता	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
13	कमल कुमार वर्मा	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
14	मोहम्मद इनाम	एमएससी, एमटेक	**सहायक प्राध्यापक**
15	रोहित कुमार गुप्ता	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**

16	अरुण सिंह पटेल	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
17	रोहतेश कुमार	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
18	अरविन्द कुमार	एमएससी, एमटेक	**सहायक प्राध्यापक**
19	मोनू मिश्रा	**एमएससी,पीएच.डी.,पोस्टडॉक**	**सहायक प्राध्यापक**
20	**वैभव वार्ष्णेय**	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
21	उर्वशी आर्या	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
22	गीतांजली	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
23	संजु मीना	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
24	मीठा लाल मीना	एमएससी	**सहायक प्राध्यापक**
	पुस्तकालय अध्यक्ष		
1	विनोद कुमार	एम.लिब, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
	जन्तुशास्त्र विभाग		
1	रीता रथ	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
2	नीरजा सूद	एमएससी, पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
3	साधना गुप्ता	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
4	संजीव मलिक (टीआईसी)	एमएससी, पीएच.डी.	सह-आचार्य
5	नीतू भट्टाचार्य	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	सह-आचार्य
6	पी. वी. आर्य	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**प्रोफ़ेसर**
7	वत्सला त्रिपाठी	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
8	ऋतु राय	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
	पर्यावरण विज्ञान		
1	अमित कांत अवस्थी	एमएससी, एम. फ़िल., पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**
2	अनिकेत कुमार	एमएससी, पीएच.डी.	**सहायक प्राध्यापक**

एससी / एस.टी / ओ.बी.सी. / पी.डब्लू.डी. शाखा	डॉ. मनीष कुमार गौतम
एनसीसी (आर्मी विंग) छात्र	लेफ्टिनेंट केशव कुमार सैनी, एएनओ
एनसीसी (नौसेना विंग)	सब लेफ्टिनेंट डॉ. हिमांशु शर्मा
एनसीसी (आर्मी विंग) छात्राएँ	लेफ्टिनेंट डॉ. रुचि गुप्ता, एएनओ
एनएसएस	डॉ. ज्योति पॉल
नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम	प्रो. नवनीत मानव
एनआईआई विज्ञान सेतु कार्यक्रम	डॉ. एन. लैसराम
जम्मू और कश्मीर छात्र प्रकोष्ठ	डॉ. हिमांशु शर्मा
प्लेसमेंट सेल	डॉ. नीतू भट्टाचार्य
विदेशी छात्र प्रकोष्ठ	डॉ. नीतू भट्टाचार्य

लाइजनिंग ऑफिसर

पीडब्ल्यूडी, एससी / एसटी	डॉ. मनीष कुमार गौतम
अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. इंद्रराज कुमावती
ईडब्ल्यूएस	डॉ. थिरुमूर्थी आर

विवरणिका समिति	डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार (समिति संयोजक और संयोजक : हिंदी संस्करण) डॉ. राजेश कुमार पांडे (सदस्य) प्रो. नीता त्रिपाठी (संयोजक : अंग्रेज़ी संस्करण) डॉ. सैयद ज़हीन आलम (सदस्य)

कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं

वर्तमान कॉलेज परिसर दक्षिण दिल्ली में लोधी रोड पर लोधी गार्डन, जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य संस्थानों के आसपास स्थित है। यह दिल्ली मेट्रो से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें 11 एकड़ से अधिक का क्षेत्र शामिल है। इसे लुटियन की दिल्ली के निर्माता सरदार बहादुर सर शोभा सिंह ने बनवाया था।

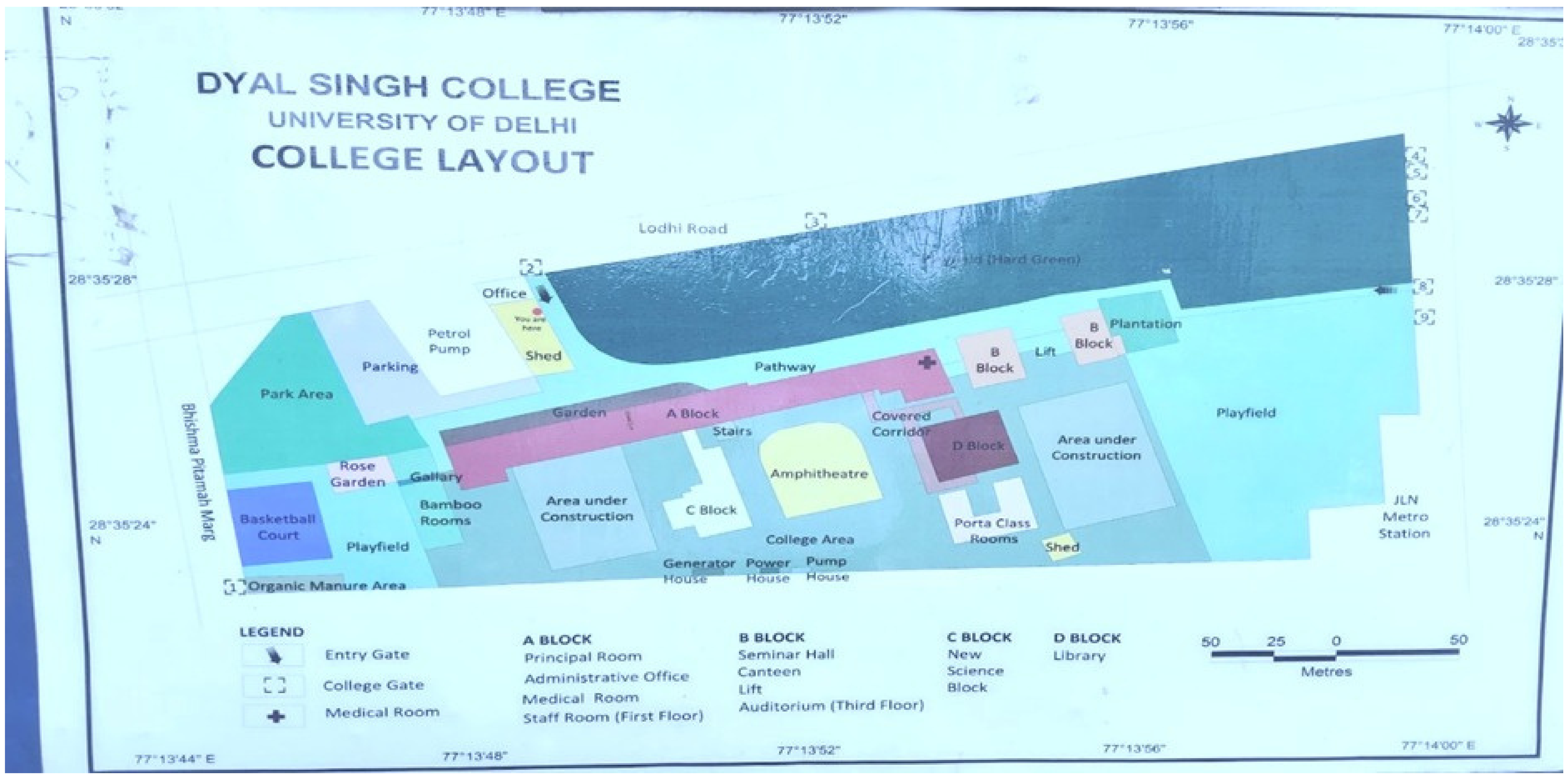

वर्तमान में, कॉलेज 24 पाठ्यक्रमों (17 ऑनर्स, 5 कार्यक्रम और 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित) में छात्र-केंद्रित उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ 19 विभागों , 250 से अधिक योग्य संकाय और 100 से अधिक गैर -टीचिंग स्टाफ के माध्यम से 5,700 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों के छात्रों के अलावा, ईरान, नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरीशस, थाईलैंड, भूटान, अफगानिस्तान, सूडान, जॉर्डन, बांग्लादेश, तिब्बत, यमन, तुर्कमेनिस्तान, लेसोथो, यूएई, यूएसए और यूके के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने कॉलेज में विविधता को समृद्ध किया है।

1 लाख से अधिक पुस्तकों और 57 पत्र - पत्रिकाओं के कुल संग्रह के साथ कॉलेज पुस्तकालय, छात्रों और संकाय की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। एमएचआरडी/यूजीसी के राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा (एन-लिस्ट) कार्यक्रम की सदस्यता प्राप्त करने के बाद कॉलेज पुस्तकालय 3,800 से अधिक ई-पत्रिकाओं और 80,000 ई-पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करता है। दृष्टिबाधित लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पुस्तकालय JAWS सक्षम कंप्यूटर, स्कैनर और ब्रेल प्रिंटर, ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सीडी, डेज़ी प्लेयर, लैपटॉप और टेप रिकॉर्डर से लैस है।

कॉलेज परिसर वाई-फाई सक्षम है, और छात्रों के पास क्यू-बेसिक, केमड्रा, ट्रीकॉन, फिलिप, फाइलोड्रा, मैक्सिमा, एलसी 3 और मैथमैटिका जैसे विशेष सॉफ्टवेयर तक पहुंच है। संकाय सदस्य अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। संकाय ने पीएच.डी. डिग्री के पुरस्कार के लिए 48 से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन किया है।

छात्र खेल, कला और संस्कृति, एनसीसी, एनएसएस और कई अन्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अच्छी संख्या में छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अवसर मिलता है।

वर्तमान में, कॉलेज में निम्नलिखित बुनियादी ढांचा है:

1. 65 कक्षाएं , जिसमें सात पर्यावरण अनुकूल बांस निर्मित क्लासरूम और ट्यूटोरियल रूम शामिल हैं।
2. 22 प्रयोगशालाएं (ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी कंप्यूटर लैब सहित) और
3. 4 अनुसंधान प्रयोगशालाएं
4. 120 के बैठने की क्षमता वाला सेमिनार हॉल
5. 1000 की बैठने की क्षमता वाला ओपन-एयर एम्फीथिएटर
6. अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 210 की बैठने की क्षमता वाला सभागार
7. विशाल कैंटीन
8. पावर बैक अप के लिए दो जनरेटर 140kva / 300 kva
9. सुरक्षा के लिए चारदीवारी
10. 600 केवीए इलेक्ट्रिक पैनल
11. एक सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट
12. क्रिकेट नेट अभ्यास, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और तीरंदाजी के लिए कोर्ट
13. सुसज्जित संकाय कक्ष
14. हरे भरे लॉन, रोज़ गार्डन, हर्बल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन
15. वाई-फाई सक्षम परिसर
16. कॉलेज परिसर की सीसीटीवी निगरानी
17. विकलांग अनुकूल शौचालय, रैंप और लिफ्ट
18. पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
19. अग्निशामक
20. प्रयोगशालाओं/कक्षाओं में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर
21. चिकित्सा कक्ष
22. 100 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा पैनल
23. प्रयोगशालाओं/कैंटीन में आईजीएल गैस कनेक्टिविटी
24. 10 केएलडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
25. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन / भस्मक
26. उद्यान/कैंटीन अपशिष्ट के लिए कम्पोस्टर

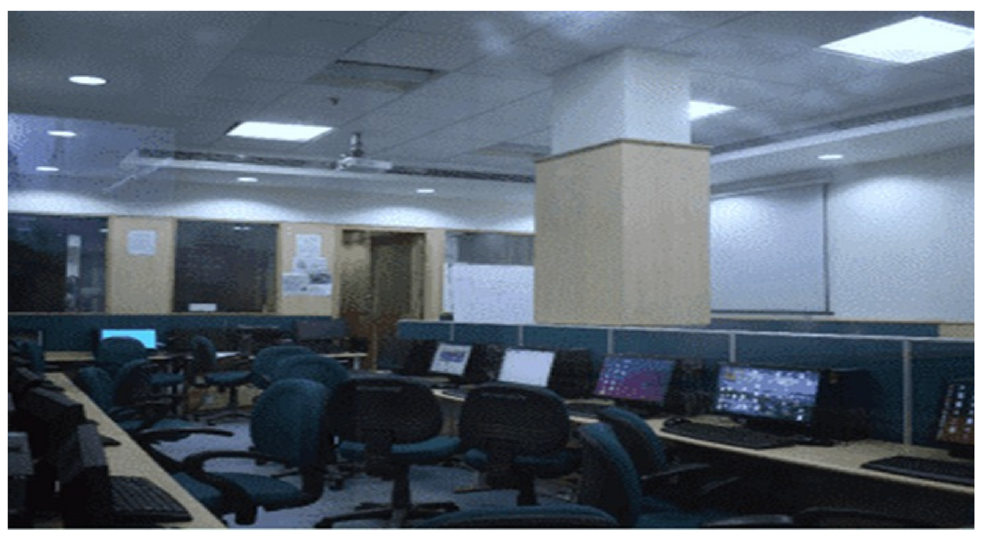

नियोजित परियोजना:
सिंथेटिक स्पोर्ट्स कोर्ट

चालू प्रकल्प
5500 वर्गमीटर साइंस ब्लॉक फेज II।

चित्र: *5500* वर्गमीटर विज्ञान ब्लॉक चरण *II* मॉडल

अन्य सुविधाएँ

- खेल/ईसीए/एनसीसी/एनएसएस/विभागीय और कई अन्य समाज।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से देय राशि की वापसी
- ऑनलाइन शुल्क संग्रह
- परामर्श

पुरस्कार

पुरस्कार	नियम
डॉ. अशोक कुमार स्मृति पुरस्कार	बीएससी में दो छात्रों ने(ऑनर्स) भौतिकी I और II वर्ष, क्रमशः प्रथम स्थान हासिल किया है। केवल मुख्य विषय में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही पुरस्कार के लिए पात्र है
श्री.पी.सी. अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार	दो पुरुष छात्र (बी.कॉम (एच), बी.कॉम (पी) द्वितीय वर्ष के प्रत्येक) जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया
श्रीमती सुषमा अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार	दो छात्राएं (बी.कॉम.(एच) और बी.कॉम.(पी) द्वितीय वर्ष की प्रत्येक) जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया
श्री सुल्तान चंद मेमोरियल स्कॉलरशिप	बी कॉम (एच) सेमेस्टर II (70% से ऊपर) में उच्चतम अंक हासिल करने वाला छात्र
डॉ. उषा अग्रवाल तेजस्वी/तेजस्विनी छात्रवृत्ति	एक छात्र बी कॉम में उच्चतम अंक (70% से ऊपर) बी कॉम प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष में प्राप्त करता है
डॉ. के.बी. मिश्रा पुरस्कार	बीए में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र (एच) हिंदी द्वितीय वर्ष
ख्वाजा एम.ए. हे पुरस्कार बंगाली, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में	विषय में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाला और बी.ए. में विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र। (प्रोग.) द्वितीय वर्ष की परीक्षा
श्री मोहन लाल नंदा स्मृति पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग II न्यूनतम 60% के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करना और सभी विषयों को पास करना

श्रीमती राम लभाई नंदा स्मृति पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग II न्यूनतम 55% के साथ दूसरा उच्चतम अंक हासिल करना और सभी विषयों को पास करना
श्री बैज नाथ मेमोरियल अवार्ड	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग I न्यूनतम 60% के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करना और सभी विषयों को पास करना
श्रीमती श्याम प्यारी मेमोरियल अवार्ड	बीएससी का एक छात्र (एच) गणित भाग I न्यूनतम 55% के साथ दूसरा उच्चतम अंक हासिल करना और सभी विषयों को पास करना
श्रीमती पुष्पावती स्मारक पुरस्कार	बीएससी का एक छात्र फिजिकल साइंस-कंप्यूटर साइंस पार्ट II कम से कम 60% अंक हासिल कर रहा है
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग I का एक छात्र, जिसने सेमेस्टर I और II के संचयी उच्चतम अंक हासिल किए हैं
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग II का एक छात्र, जिसने सेम III और IV के संचयी उच्चतम अंक हासिल किए हैं
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग III का एक छात्र, जो सेम V और VI के संचयी उच्चतम अंक हासिल करता है
डॉ. कैलाश बेरी स्मारक पुरस्कार	बीए (एच) इतिहास भाग IV का एक छात्र, जिसने सेम I से VI . के संचयी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं

स्नातक कार्यक्रमों में पंजीकरण और प्रवेश -2023

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को CUET- 2023 के लिए https://cuet.samarth.ac.in/ पर पंजीकरण करना होगा। कृपया इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.du.ac.in) देखें।

सामान्य दिशा - निर्देश

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदक को भारत में किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा, या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त अथवा किसी भी विदेशी देश की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- विदेशी छात्र श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदकों को विदेशी छात्र रजिस्ट्री वेबसाइट http://fsr.du.ac.in के माध्यम से अलग से आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लिंक देखें https://www.admission.uod.ac.in/?UG-Admissions portal

क्र.स.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	संकाय
	बी० ए० (ऑनर्स) अंग्रेजी	कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान
	बी० ए० (ऑनर्स) हिंदी	
	बी० ए० (ऑनर्स) पंजाबी	
	बी० ए० (ऑनर्स) संस्कृत	
	बी० ए० (ऑनर्स) उर्दू	
	बी० ए० (ऑनर्स) भूगोल	
	बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास	
	बी० ए० (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	
	बी० ए० (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र	
	बी० ए० (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	
	बी० ए० (कार्यक्रम)	
	बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस	
	बीएससी (ऑनर्स) गणित	
	बीएससी ((ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान	

	बीएससी ((ऑनर्स) जूलॉजी	विज्ञान
	बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान	
	बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी	
	बीएससी (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	
	बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान	
	बीएससी (प्रोग) जीवन विज्ञान	
	बी.कॉम. (ऑनर्स)	कॉमर्स
	बी.कॉम.	

स्नातक प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता

सामान्य न्यूनतम पात्रता
उम्मीदवार को एक ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
* यदि एक उम्मीदवार ने एक से अधिक बोर्ड से विषयों को उत्तीर्ण किया है, तो वह सीयूईटी 2023 के लिए उन विषयों में उपस्थित हो सकता है जिसमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है; हालांकि, न्यूनतम पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से, केवल एक बोर्ड की मार्कशीट/डिग्री पर विचार किया जाएगा (उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में गणित को छोड़कर पांच विषयों के साथ उपस्थित हुआ है और बाद में उपस्थित होता है और किसी अन्य बोर्ड से गणित पास करता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के रूप में, न्यूनतम पात्रता केवल सीबीएसई द्वारा जारी उसकी मार्कशीट से सुनिश्चित की जाएगी)।

कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यताएं

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET 2023 में चुने जाने वाले विषयों / पत्रों की सूची
सूची ए:

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कम से कम एक भाषा में उपस्थित होना चाहिए			
अरबी	गुजराती	मणिपुरी	सिंधी
असमिया	हिंदी	मराठी	स्पेनिश
बंगाली	इतालवी	नेपाली	तमिल
बोडो	जापानी	उड़िया	तेलुगु
चीनी	कन्नड़	फारसी	तिब्बती
डोगरी	कश्मीरी	पंजाबी	उर्दू
अंग्रेज़ी	कोंकणी	रूसी	
फ्रेंच	मैथिली	संस्कृत	
जर्मन	मलयालम	संथाली	

सूची बी:
सीयूईटी 2023 की धारा II में उल्लिखित विषयों / टेस्ट पेपर को सूची बी 1 और सूची बी 2 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उम्मीदवार को उन विषयों का चयन करने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का उल्लेख करना चाहिए जिनमें चयनित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET 2023 में शामिल होना चाहिए।

	सूची B1 में विषय		सूची B2 में विषय
1	लेखा/ बहीखाता पद्धति	1	कृषि
2	मनुष्य जाति का विज्ञान	2	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
3	जीव विज्ञान/जैविक अध्ययन/जैव प्रौद्योगिकी/जैव रसायन	3	उद्यमिता
4	बिजनेस स्टडीज	4	ज्ञान परंपरा और व्यवहार भारत
5	रसायन शास्त्र	5	ललित कला/दृश्य कला (मूर्तिकला/पेंटिंग)/वाणिज्यिक कला
6	कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास	6	मास मीडिया / मास कम्युनिकेशन
7	अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र	7	शारीरिक शिक्षा/एनसीसी/योग
8	वातावरण का अध्ययन	8	प्रदर्शन कला - i) नृत्य (कथक / भरतनाट्यम / कथकली / ओडिसी / कुचिपुड़ी / मणिपुरी (ii) नाटक- रंगमंच (iii) संगीत सामान्य (कर्नाटक / रवींद्र संगीत / हिंदुस्तानी / टक्कर / गैर-टक्कर)
9	भूगोल/भूविज्ञान	9	**शिक्षण योग्यता**

10	इतिहास		
11	गृह विज्ञान		
12	विधिक अध्ययन		
13	गणित		
14	भौतिक विज्ञान		
15	राजनीति विज्ञान		
16	मनोविज्ञान		
17	संस्कृत		
18	समाज शास्त्र		

कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के लिए केवल सूची बी1 और सूची बी2 में उल्लिखित प्रश्नपत्रों को "विषय" माना जाएगा।

सीयूईटी 2023 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को स्नातक कार्यक्रमों में योग्यता तय करने और प्रवेश देने के लिए विषयों के कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के अनुसार कुल अंकों की गणना के लिए माना जाएगा। मेरिट केवल 'उन विषयों के संयोजन पर आधारित होगी जिसमें एक उम्मीदवार सीयूईटी 2023 में उपस्थित हुआ है' जैसा कि संबंधित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता में उल्लिखित है।

योग्यता की आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्या: कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम
(नोट: सुपरन्यूमेरी सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होंगी। अद्यतन शुल्क की संरचना के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज की वेबसाइटों पर जाना चाहिए।)

बी० ए०(ऑनर्स) अंग्रेजी

यह पाठ्यक्रम छात्रों को साहित्य की श्रेणी को परिभाषित/आलोचना करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; और साहित्यिक अध्ययन, पाठ्यचर्या, और सिद्धांत के उद्भव को समझें। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य साहित्य की पूर्व-कल्पित धारणाओं को अनुकरणीय अभ्यावेदन के रूप में समझना, सांस्कृतिक उत्पादन के हिस्से के रूप में साहित्य को रेखांकित करना, ऐतिहासिक विशिष्टता में मजबूती से निहित है, निर्धारित ग्रंथों के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से एक एकीकृत तरीके से भाषा कौशल विकसित करना और इन कौशलों के उपयोग में व्यावहारिक अभ्यास शिक्षार्थियों को देना है। बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) अंग्रेजी कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
सूची ए से अंग्रेजी + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची बी 2 में से कोई भी एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) अंग्रेजी

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-English

बी० ए० (ऑनर्स) हिंदी

यह पाठ्यक्रम हिंदी के छात्रों को भाषा की क्षमता की व्यापक समझ से परिचित कराता है. साथ ही स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समाज की चुनौतियों के संदर्भ में उन्हें जोड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह हिंदी साहित्य की एक नई समझ और भाषा की व्यावहारिकता और पेशेवर क्षमता का भी विकास कर रहा है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) हिंदी
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
सूची ए से हिंदी + सूची बी I से कोई दो विषय + सूची बी I या सूची बी 2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) हिंदी

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Hindi

बी० ए० (ऑनर्स) पंजाबी

यह कार्यक्रम छात्रों को तीन प्रमुख घटकों: पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ विकसित और लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सभी घटक धर्मनिरपेक्ष विरासत से जुड़े हैं। इनके साथ, एक छात्र न केवल एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है बल्कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो जाता है। इसके अलावा, कार्यात्मक भाषा कौशल में शिक्षा प्रदान करने और बोली जाने वाली भाषा संगोष्ठी और व्याख्या सत्र आयोजित करने के लिए इकाइयां हैं। बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) पंजाबी कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची ए से पंजाबी + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची बी 1 या सूची बी 2 से कोई एक विषय
या संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई भी दो विषय + सूची में से कोई भी एक विषय
B1 या सूची B2
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए संयोजन II का विकल्प चुना है, , जिन्होंने संयोजन I का विकल्प चुना है उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद सीटें खाली रहने पर ही विचार किया जाएगा।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) पंजाबी

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Punjabi

बी० ए० (ऑनर्स) संस्कृत

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजनों में से किसी एक में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से संस्कृत + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची B1 से होना चाहिए
नहीं तो
संयोजन II: सूची A से कोई एक भाषा + सूची A से संस्कृत + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची B1 से होना चाहिए
नहीं तो
संयोजन III: सूची A से संस्कृत + कोई भी तीन विषय जिनमें से कम से कम दो सूची B1 या सूची से होने चाहिए
संयोजन IV: सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 से कोई एक विषय

मेरिट विषयों के उपर्युक्त संयोजनों में से किसी से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। प्रवेश के लिए संयोजन IV का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब संयोजन I/II/III का विकल्प चुनने वाले सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद सीटें खाली रहती हैं।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) संस्कृत

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

Important link: https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Sanskrit

बी० ए० (ऑनर्स) उर्दू

उर्दू भाषा में उर्दू साहित्य का एक इतिहास है जो उर्दू, फारसी-अरबी लिपि में लिखी गई हिंदुस्तानी भाषा के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कविता, विशेष रूप से ग़ज़ल और नज़्म के पद्य रूपों का प्रभुत्व है, लेकिन यह लघु कहानी या अफसाना सहित लेखन की अन्य शैलियों में विस्तारित हो गया है। बीए (ऑनर्स) उर्दू का पाठ्यक्रम उर्दू भाषा और साहित्य और समग्र संस्कृति के तीन प्रमुख घटक प्रदान करता है, जिसमें गंगा जमुना तहज़ीब, हमारी धर्मनिरपेक्ष विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। इनके साथ, एक छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है और दक्षिण एशियाई अध्ययनों में इस भाषा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित होता है, जो विश्व स्तर पर कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में तेजी से बढ़ता हुआ अनुशासन बन रहा है।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) उर्दू

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

संयोजन I: सूची A से उर्दू + सूची B1 से कोई दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

या संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई भी दो विषय + सूची में से कोई एक विषय

B1 या सूची B2
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए संयोजन II का विकल्प चुना है, उन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब संयोजन I का चयन करने वाले सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद सीटें खाली रहती हैं।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) उर्दू

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-सामान्यdu

बी० ए० (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची B1 से होना चाहिए

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Economics

बी० ए० (ऑनर्स) भूगोल

भूगोल में बीए (ऑनर्स) की डिग्री के छात्र विभिन्न उपक्षेत्रों जैसे कि भौतिक विज्ञान, संसाधन, वैश्विक आर्थिक प्रणाली, सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं, ग्रामीण और शहरी परिवेश, पर्यावरण और आपदा अध्ययन और मानचित्रण विधियों की भौगोलिक समझ का उपयोग करना सीखेंगे। उन्हें नक्शों को पढ़ने और व्याख्या करने, ट्रांज़ेक्ट चार्ट और विषयगत एटलस तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे मौसम के नक्शे और चार्ट के माध्यम से मौसम की घटनाओं को पढ़ और उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके अलावा, छात्र डेटा हैंडलिंग, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण और विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, छात्रों को रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना विज्ञान के अध्ययन, डिजिटल रूप से मानचित्र बनाने और मॉडलिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों का ज्ञान भी प्राप्त होगा।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) भूगोल

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त कट स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) भूगोल

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Geography

बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास

बी० ए० (ऑनर्स) इतिहास पाठ्यक्रम स्नातक विशेषताओं जैसे भलाई, भावनात्मक स्थिरता, महत्वपूर्ण सोच, सामाजिक न्याय और रोजगार कौशल को विकसित करने की पेशकश करता है। छात्रों को एक शैक्षणिक रूप में आयोजित क्षेत्र में हालिया इतिहासलेखन तक पहुंच प्रदान करता है जो सुलभ और दिलचस्प है। यह छात्रों के लिए एक अंत:विषय कार्यक्रम में संरचित है, जो उन्हें इतिहास के अनुशासन के लिए एक संक्षिप्त और संपूर्ण परिचय प्रदान करता है और संज्ञानात्मक अनुशासन के प्रति संवेदनशील रहता है कि वे भी पढ़ रहे हैं। यह संचार मोड खोलने के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विषयों के साथ चौराहे के कई बिंदु प्रदान करना चाहता है जिसके द्वारा एक ऐतिहासिक संवेदनशीलता एक समृद्ध अनुभव हो सकती है।

बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) इतिहास

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) इतिहास

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-History

बी० ए० (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र

बीए (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र कार्यक्रम सबसे चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक को पेश करने और गहराई से देखने का एक प्रयास है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है। यह छात्र को महान दार्शनिकों और उनके विचारों से परिचित कराता है और उनके सिद्धांतों के लेंस के माध्यम से समकालीन समस्याओं के बारे में बताया है। यह भारतीय और पश्चिमी दर्शन का व्यापक विस्तार देता है और छात्रों को नैतिकता में विचार की मुख्य धाराओं से अवगत कराता है। छात्र विज्ञान, तर्कशास्त्र, नारीवाद और जैव-नैतिकता के दर्शन, कई अन्य मूल और वैकल्पिक पेपरों के बीच भी खोजते हैं। छात्रों को मूल विचार हमारे आस-पास की दुनिया से संबंधित मूलभूत मुद्दों, चाहे हमारे जीवन में, या मन और पदार्थ, या अस्तित्व, या विश्वास, या धर्म या विज्ञान के बारे में से अवगत कराना है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Hons.-Philosophy

बी० ए० (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उस तरीके से उजागर करना है जिस तरह से राजनीति के प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है जिसका समाज में विचार और अस्तित्व के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के निहितार्थ हैं और जिनका समाधान किया जा रहा है। विभिन्न परंपराओं के दार्शनिकों का परिचय कराकर, छात्र कुछ बुनियादी राजनीतिक सवालों के जवाब दे सकते हैं: हम राजनीतिक समुदायों में क्यों रहते हैं? सरकार का 'सर्वश्रेष्ठ' रूप क्या है? मानव स्वभाव राजनीतिक निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है? हमें बुरे शासकों का विरोध कैसे और किन परिस्थितियों में करना चाहिए? पाठ्यक्रम के अंत तक, छात्र आधुनिकता के विचार को समझने और आधुनिकता के माध्यम से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों और इसके निर्धारित राजनीतिक सुझावों के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में कट में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 में से कोई एक विषय
मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान

S. No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

बी० ए० (कार्यक्रम)

बी० ए० (कार्यक्रम) छात्रों को उनकी समानता के विषयों में स्नातक करने के लिए आकर्षित करने के लिए विषय संयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कॉलेज कई प्रकार के संयोजन प्रदान करते हैं, जिसमें से एक छात्र उन विषयों को चुन सकता है जिनमें वह अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय 180 से अधिक बीए (कार्यक्रम) संयोजन प्रदान करता है, जिससे विभिन्न विषयों का समामेलन होता है।
बीए में प्रवेश के लिए पात्रता (कार्यक्रम)
कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता
उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची ए से कोई एक भाषा + सूची बी 1 से कोई दो विषय + सूची में से कोई एक विषय
B1 या सूची B2
या संयोजन II: सूची A में से कोई एक भाषा + सूची B1 या सूची B2 + अनुभाग III में से कोई एक विषय
सीयूईटी (सामान्य परीक्षा)
मेरिट उपर्युक्त विषयों के किसी भी संयोजन से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ CUET स्कोर पर आधारित होगी।
नोट: चूंकि CUET अनुभागों का वेटेज समान नहीं है, इसलिए उचित प्रोरेशन किया जाएगा।

सीटों की संख्या (कार्यक्रम)

S. No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	CW	PwBD	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	93	62	36	17	23	0	0	11	12	12

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Arts/B.A.-Program

योग्यता आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्या: विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम

बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

बी.एससी. (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम पौधों का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और तकनीकी कौशल प्रदान करता है। छात्रों को महत्वपूर्ण अंत:विषय घटकों के साथ कोर और वैकल्पिक पेपर के एक अद्वितीय संयोजन का उपयोग करके पादप जीव विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को वर्तमान में पौधों के जीवन रूपों, उनके विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अन्य जीवों के साथ बातचीत के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। छात्र पौधों के सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उनकी प्रासंगिकता के बारे में भी जागरूक होंगे।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	16	10	6	3	4	0	0	2	2	2

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Botany

बीएससी (ऑनर्स) जीव विज्ञान

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, छात्र विभिन्न मानव प्रणालियों, उनके समन्वय और नियंत्रण के बारे में जानने और जानने के लिए अधिक सुसज्जित होंगे। जीव विज्ञान डिग्री प्रोग्राम शास्त्रीय आनुवंशिकी को समझने के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि आबादी, उनकी विरासत, जातीयता के बीच अन्य लक्षणों के वितरण को समझा जा सके और जीनोमिक्स, मेटागेनोमिक्स, जीनोम एडिटिंग और आणविक निदान उपकरण जैसी समकालीन और आधुनिक तकनीकों के साथ सहसंबंध बनाया जा सके।

इस पाठ्यक्रम के व्यावहारिक और सैद्धांतिक कौशल सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों को डिजाइन करने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम को लागू विषयों का गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि रोजगार कौशल का समावेश सुनिश्चित हो सके ताकि छात्र करियर बना सकें और जलीय जीव विज्ञान, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि के विविध क्षेत्रों में उद्यमी बन सकें। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र वन्यजीव संरक्षण, पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में नीति निर्माताओं के रूप में योगदान कर सकते हैं।

बीएससी में प्रवेश के लिए पात्रता (ऑनर्स) जीव विज्ञान

कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में CUET में उपस्थित होना चाहिए:

भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त CUET अंकों पर आधारित होगी।

उम्मीदवारों को CUET में सूची A की किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने चाहिए।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) जूलॉजी

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	16	10	6	3	4	0	0	2	2	2

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Zoology

बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / एप्लाइड गणित

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को सीयूईटी में लिस्ट ए की किसी एक

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	16	10	6	3	4	0	0	2	2	2

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Chemistry

बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / एप्लाइड गणित

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को सीयूईटी में लिस्ट ए की किसी एक

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Physics

बीएससी (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + गणित / एप्लाइड गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची B1 से होना चाहिए

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर साइंस

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	23	16	9	4	6	0	0	3	3	3

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Computer-Science

बीएससी (ऑनर्स) गणित

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
सूची A से कोई एक भाषा + गणित / एप्लाइड गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से एक सूची B1 से होना चाहिए

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी।

सीटों की संख्या बी.एससी. (ऑनर्स) गणित

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	47	32	18	9	11	0	0	6	6	6

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Hons.-Mathematics

बीएससी (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
भौतिकी + गणित / एप्लाइड गणित + रसायन विज्ञान

मेरिट विषयों के उपर्युक्त संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को सीयूईटी में लिस्ट ए की

सीटों की संख्या बी.एससी. (प्रोग) रसायन विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	62	42	24	11	15	0	0	8	7	8

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Prog.-Physical-Science-with-Chemistry

बीएससी (कार्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजनों में से किसी एक में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: भौतिकी + गणित / एप्लाइड गणित + रसायन विज्ञान
नहीं तो
संयोजन II: भौतिकी + गणित / एप्लाइड गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास

मेरिट विषयों के उपर्युक्त संयोजनों में से किसी से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को सीयूईटी में लिस्ट ए

सीटों की संख्या बी.एससी. (कार्यक्रम) भौतिक विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

बीएससी (प्रोग) जीवन विज्ञान

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
रसायन विज्ञान + भौतिकी + जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन

मेरिट उपर्युक्त विषयों के संयोजन से प्राप्त सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। उम्मीदवारों को सीयूईटी में लिस्ट ए की

सीटों की संख्या बी.एससी. (प्रोग) जीवन विज्ञान

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	31	21	12	6	7	0	0	4	4	4

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Sciences/B.Sc-Prog.-Life-Science

पात्रता आवश्यकता और विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों के तहत सीटों की संख्या: वाणिज्य में स्नातक कार्यक्रम

बी.कॉम. (ऑनर्स)

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजनों में से किसी एक में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:

संयोजन I: सूची A से कोई एक भाषा + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कोई भी दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची B1 से होना चाहिए

नहीं तो

संयोजन II: सूची ए से कोई एक भाषा + अकाउंटेंसी / बुक कीपिंग + कोई भी दो विषय जिनमें से कम से कम एक सूची बी 1 से होना चाहिए

मेरिट विषयों के उपर्युक्त संयोजनों में से किसी से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी।.

सीटों की संख्या बी.कॉम. (ऑनर्स)

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	93	62	36	17	23	0	0	12	12	12

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Commerce/B.Com.-Hons

बी.कॉम.

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजनों में से किसी एक में सीयूईटी में उपस्थित होना चाहिए:
संयोजन I: सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 से कोई भी दो विषय + सूची B1 या सूची B2 से कोई एक विषय
नहीं तो
संयोजन II: सूची A से कोई एक भाषा + सूची B1 या सूची B2 + CUET (सामान्य परीक्षा) के अनुभाग III से कोई एक विषय

मेरिट विषयों के उपर्युक्त संयोजनों में से किसी से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सीयूईटी स्कोर पर आधारित होगी। नोट: चूंकि सीयूईटी अनुभागों का वेटेज समान नहीं है, इसलिए उचित मूल्यांकन किया जाएगा।

सीटों की संख्या बी.कॉम

S.No.	कॉलेज का नाम	UR	OBC-NCL	SC	ST	EWS	Sikh	Christian	PwBD	CW	KM
1	दयाल सिंह कॉलेज	93	62	36	17	23	0	0	12	11	12

https://admission.uod.ac.in/?UG-Admissions/Eligibility-and-Seat-Matrix/Bachelor-of-Commerce/B.Com

लघुरूप

1एईसी' 'क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम' को इंगित करता है
2. 'बीए' 'बैचलर ऑफ आर्ट्स' को दर्शाता है
3. 'बी कॉम. 'बैचलर ऑफ कॉमर्स' इंगित करता है
4. 'बीएससी' 'बैचलर ऑफ साइंस' को दर्शाता है
5. 'डीएससी' 'अनुशासन विशिष्ट कोर' को इंगित करता है
6 'डीएसई' 'अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक' इंगित करता है
7. 'जीई' 'जेनेरिक ऐच्छिक' को इंगित करता है
8. 'एसईसी' 'कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम' को इंगित करता है
9. 'वीएसी' 'वैल्यू एडिशन कोर्स' को दर्शाता

1. **अध्ययन के पाठ्यक्रम -** अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विशेष विषय में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक अनुशासन अध्ययन के पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों की पेशकश करेगा, अर्थात अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम (डीएससी), अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) और सामान्य ऐच्छिक (जीई)।

ए) अनुशासन विशिष्ट कोर (डीएससी): अनुशासन विशिष्ट कोर अध्ययन का एक पाठ्यक्रम है, जिसे एक छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपनाया जाना चाहिए। डीएससी उस विशेष विषय के मुख्य क्रेडिट पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हें एनईपी 2020 के अनुसार कई निकास विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किए जा रहे अध्ययन के सेमेस्टर में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा। ढांचे में निर्दिष्ट डीएससी को संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जाएगा।
उदाहरण के लिए, एकल अनुशासन विशिष्ट ऑनर्स डिग्री प्रदान करने के लिए, जैसे कि बी.ए. (ऑनर्स) हिस्ट्री, बी.कॉम. (ऑनर्स), बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी और इसी तरह के ऐसे कार्यक्रम, डीएससी क्रमशः इतिहास, वाणिज्य और भौतिकी के मुख्य पाठ्यक्रम होंगे।

हालाँकि, 'अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र' (एक एकल अनुशासन के बजाय) जैसे बी.एससी. में ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बी.एससी. (ऑनर्स) लाइफ साइंसेज, बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, डीएससी में एक से अधिक विषयों के कोर क्रेडिट पाठ्यक्रम शामिल होंगे।उदाहरण के लिए, बी.एस.सी. (ऑनर्स) जीवन विज्ञान कार्यक्रम, एक छात्र तीन विषयों अर्थात वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेगा। DSC 1 डिसिप्लिन A1 (जैसे, बॉटनी) का हो सकता है, DSC 2 डिसिप्लिन B 1 (जैसे, जूलॉजी) का हो सकता है और DSC 3 डिसिप्लिन C 1 (जैसे, केमिस्ट्री) का हो सकता है। हालांकि, इस तरह के ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम का चौथा वर्ष केवल एक विषय के अध्ययन के लिए समर्पित होगा और इसलिए VII और VIII सेमेस्टर में DSC पाठ्यक्रम अनुशासन ए/बी/सी के होंगे न कि इन तीन विषयों के संयोजन के लिए। कृपया उदाहरण-I के रूप में दिए गए ढांचे को देखें।

बी) अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई): अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (डीएसई) उस विशेष अनुशासन (अध्ययन के एकल अनुशासन कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहु-विषयक कार्यक्रम) के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा, जैसा भी मामला हो, जो एक छात्र अपने विशेष अनुशासन से अध्ययन करना चुनता है। डीएसई का एक पूल होगा जिसमें से एक छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। ढांचे में निर्दिष्ट डीएसई को संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जाएगा।

उदाहरण के लिए, बीएससी (ऑनर्स) करने के लिए फिजिक्स, डीएसई चुने गए डीएसई फिजिक्स के पूल से होने चाहिए। इसी प्रकार बी.एस.सी. (ऑनर्स) जीवन विज्ञान कार्यक्रम, चुने गए डीएसई को वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान के डीएसई के पाठ्यक्रमों का एक पूल होना चाहिए, जो अध्ययन के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य विषय हैं।

हालाँकि, 'अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र' (एक एकल अनुशासन के बजाय) जैसे बी.एससी. में ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ साइंसेज (ऑनर्स), बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में इस तरह के ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम के चौथे वर्ष में, छात्र को किसी एक विषय ए/बी/सी से डीएसई का चयन करना होगा, न कि इन तीनों का संयोजन अनुशासन। कृपया उदाहरण - I के रूप में दिए गए ढांचे का संदर्भ लें।

ग) सामान्य ऐच्छिक (जीई): जेनेरिक ऐच्छिक पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा जो छात्रों को बहु-विषयक या अंतःविषय शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जीई में विषम और सम सेमेस्टर के समूहों में अध्ययन के विभिन्न विषयों (मूल अनुशासन द्वारा प्रस्तावित जीई को छोड़कर) द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक पूल शामिल होगा, जिसमें से एक छात्र चुन सकता है। ढांचे में निर्दिष्ट जीई की पहचान संबंधित विभाग द्वारा एक कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले जीई के रूप में की जाएगी।
यदि कोई छात्र अध्ययन के अपने अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) से परे डीएसई का विकल्प चुनता है, तो ऐसे डीएसई को उस छात्र के लिए जीई के रूप में माना जाएगा।

डी) क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी), कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (वीएसी) ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सेमेस्टर के समूहों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा, जिसमें से छात्र चुन सकते हैं। एक छात्र जो माइनर के रूप में शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता बनाना चाहता है, उसे जीई, एसईसी, वीएसी, और इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/परियोजना/समुदाय (आईएपीसी) के पाठ्यक्रमों के उपयुक्त अध्ययन की योजना में संयोजन को चुनना होगा जो कि निर्दिष्ट के अनुसार विभिन्न मॉड्यूल के रूप में पेश किए जाएंगे।

i) एईसी पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम हैं जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य और पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास हैं जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।
ii) एसईसी पाठ्यक्रम सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इसका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। एसईसी पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है। iii) वीएसी पाठ्यक्रम मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम हैं जो नैतिकता, संस्कृति, संवैधानिक मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स, खेल को विकसित करने के लिए हैं।
शिक्षा और छात्रों के लिए ऐसे समान मूल्य जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करेंगे।

1.प्रमुख अनुशासन
क) एक विशिष्ट अनुशासन (कोर कोर्स) में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का पीछा करने वाले छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक अनुशासन में मेजर के साथ उचित ऑनर्स डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह उस अनुशासन में कुल क्रेडिट का कम से कम 50% हासिल करता है। यानी, उस अनुशासन में कुल 176 क्रेडिट में से कम से कम 88 क्रेडिट। वह 20 डीएससी और आठ ए) सेमेस्टर में कम से कम 2 डीएसई का अध्ययन करेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो वाणिज्य में बी.कॉम. (ऑनर्स) करता है मेजर प्राप्त करने के लिए 20 डीएससी और कम से कम दो डीएसई से न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करेगा।

बी) कोर कोर्स (उदाहरण के लिए बीए सामाजिक विज्ञान / मानविकी, बीएससी जीवन विज्ञान, बीएससी भौतिक विज्ञान, बीएससी गणितीय विज्ञान, बी. कॉम और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों) को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक अनुशासन में मेजर के साथ उचित ऑनर्स डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, यदि वह उस अनुशासन में कुल 176 क्रेडिट में से 80 क्रेडिट हासिल करता है। वह पहले छह सेमेस्टर और 2 डीएससी, 6 डीएसई में उस विषय में 6 डीएससी और कम से कम 3 डीएसई का अध्ययन करेगा और सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में उस विषय में शोध प्रबंध लिखेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो चार वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी आठवें सेमेस्टर के पूरा होने पर इतिहास में मेजर के लिए पात्र होंगे, यदि वह 8 डीएससी और इतिहास के कम से कम 9 डीएसई से न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करता है और इतिहास से संबंधित विषय पर शोध प्रबंध लिखता है।

3. मामूली अनुशासन

ए) ऊपर 2 (ए) में उल्लिखित छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक विषय में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है, अगर वह उस विषय के सात जीई पाठ्यक्रमों से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास कुल बारह जीई पाठ्यक्रमों में से राजनीति विज्ञान के सात जीई पाठ्यक्रमों को चुनता है और शोध प्रबंध लिखता है, उसे आठवीं सेमेस्टर, इतिहास में मेजर और राजनीति विज्ञान में माइनर के सफल समापन पर सम्मानित किया जाएगा।

बी) ऊपर 2 (बी) में उल्लिखित एक छात्र को आठवीं सेमेस्टर के पूरा होने पर एक विषय में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है, अगर वह छह डीएससी और उस अनुशासन के एक डीएसई से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है। उदाहरण के लिए, चार वर्षीय बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास में मेजर के साथ सामाजिक विज्ञान / मानविकी (इतिहास में कम से कम 80 क्रेडिट हासिल करने के बाद), आठवीं सेमेस्टर के सफलतापूर्वक समापन पर हिंदी में माइनर से सम्मानित किया जा सकता है यदि वह छह डीएससी और हिंदी के एक डीएसई (छठे सेमेस्टर तक) से 28 क्रेडिट अर्जित करता है।

माइनर की यह परिभाषा जीई से स्वतंत्र है जिसके लिए माइनर के रूप में माने जाने के लिए 28 क्रेडिट की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि कोई छात्र भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे तीन विषयों के बजाय भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे दो विषयों का विकल्प चुनता है, तो प्रमुख और मामूली अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रमों में अर्जित क्रेडिट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। माइनर की अवधारणा तभी प्रासंगिक है जब कोई मेजर डिसिप्लिन हो।

स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ)-2022

यूजीसीएफ कई निकास विकल्पों के साथ विभिन्न विषयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक संरचना है। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें (https://centenary.du.ac.in/?Documents-Documentaries/UGCF-2022-NEP-2020#

नोट

1.प्रवेश स्तर की पात्रता: स्तर 5 में प्रवेश के लिए सामान्य फीडर श्रेणी 12 वीं कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र है। स्नातक की डिग्री के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए अध्ययन का एक कार्यक्रम उन छात्रों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें कार्यक्रम प्रवेश नियमों में उल्लिखित शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर प्राप्ति के निर्दिष्ट स्तर शामिल हैं। अध्ययन के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश आवेदक की स्नातक डिग्री कार्यक्रम को पूरा करने और पूरा करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (अकादमिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है, जो शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास योजना के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

2.एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के घंटों की संख्या को उसके व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक के घटक द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

3.प्रत्येक छात्र को क्रमशः पहले वर्ष (I/II सेमेस्टर) और दूसरे वर्ष (III/IV सेमेस्टर) में दो-दो क्रेडिट के "पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास" पाठ्यक्रम I और II का अध्ययन करना होता है। एईसी पूल में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में क्रेडिट पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय उन कॉलेजों (जहां संकाय उपलब्ध नहीं है) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें इन भाषाओं में शिक्षण शिक्षण के दौरान इसकी आवश्यकता हो सकती है।

4. डिग्रियों का डिजाइन: छात्र पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करने के बजाय, अपनी क्षमता और उपलब्धि के अनुरूप भविष्य के लिए अपने मिशन और आकांक्षा के अनुसार अपनी डिग्री डिजाइन करने में सक्षम होंगे।

5. एक छात्र जो कोर कोर्स के रूप में एक विशिष्ट विषय में तीन साल के स्नातक डिग्री कार्यक्रम का अनुसरण करता है [उदाहरण के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) इंग्लिश, बी.कॉम (ऑनर्स), बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी और ऐसे अन्य कार्यक्रम] उस विषय में कम से कम 80 क्रेडिट अर्जित करेंगे (18 डीएससी और उस अनुशासन के कम से कम 2 डीएसई से) और अगर वह सेमेस्टर VI के पूरा होने के बाद बाहर निकलता है, उस विषय में ऑनर्स की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

6. एक छात्र जो अध्ययन के मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में एक से अधिक विषयों में तीन साल के स्नातक डिग्री कार्यक्रम का अनुसरण करता है (उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान / मानविकी में बीए, जीवन विज्ञान में बीएससी, भौतिक विज्ञान में बीएससी, बी.एससी। गणित विज्ञान में, वाणिज्य अध्ययन में स्नातक और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में) यदि वह VI सेमेस्टर पूरा करने के बाद बाहर निकलता है, तो उसे अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रम के उस क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. यदि कोई छात्र अनुसंधान के साथ चार साल की ऑनर्स डिग्री हासिल करना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से VI सेमेस्टर या VII सेमेस्टर में GE के रूप में रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स का विकल्प चुनना होगा।

8. चौथे वर्ष में निबंध/शैक्षणिक परियोजना/उद्यमिता VII सेमेस्टर से शुरू होगी और VIII सेमेस्टर में समाप्त होगी। इन तीन विकल्पों में से चुने गए प्रत्येक ट्रैक के विस्तृत परिणामों को अधिसूचित किया जाएगा और तदनुसार VII और VIII सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।

9. निबंध मेजर या माइनर या इंटरडिसिप्लिनरी (मेजर और माइनर का संयोजन) अनुशासन में लिखा जा सकता है।

10. यदि उपरोक्त (6) में उल्लिखित छात्र बहुविषयक अध्ययन के क्षेत्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के लिए चौथे वर्ष में जारी रहता है या फिर से प्रवेश करता है, तो उसे मुख्य पाठ्यक्रमों के रूप में अध्ययन किए गए विषयों में से केवल एक को चुनना होगा। पिछले छह सेमेस्टर में अध्ययन और VII और VIII सेमेस्टर में उस चुने हुए अनुशासन के 2DSCs और 6DSE से क्रेडिट अर्जित करें और शोध प्रबंध लिखें या अकादमिक परियोजना या उद्यमिता का विकल्प चुनें।

11. यदि उपरोक्त (5) में उल्लिखित कोई छात्र एक ही विषय में VII और VIII सेमेस्टर का अध्ययन जारी रखता है या फिर से प्रवेश करता है, और ऊपर (9) में वर्णित शोध प्रबंध लिखता है, लेकिन कोई मामूली अनुशासन नहीं बनाया जाता है (यानी, क्रेडिट किसी एक विषय के जीई में अर्जित 28 क्रेडिट से कम है), तो उसे आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर उस विषय में मेजर के साथ 'ऑनर्स विद रिसर्च' से सम्मानित किया जाएगा।

12. ऊपर (6) में उल्लिखित एक छात्र को आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर बहु-विषयक अध्ययन के उस क्षेत्र में 'ऑनर्स' की डिग्री प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, बी.ए. (ऑनर्स) सामाजिक विज्ञान/मानविकी, बी.एससी. (ऑनर्स) लाइफ साइंसेज, बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान, बी.एससी. (ऑनर्स) मैथमेटिकल साइंसेज और बैचलर इन कॉमर्स स्टडीज (ऑनर्स) मेजर और माइनर को क्रमशः III(2)(b) और III(3)(b) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर दर्शाया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो चार साल बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी के साथ मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में सामाजिक विज्ञान / मानविकी में, आठवीं सेमेस्टर के सफल समापन पर इतिहास में मेजर मिलेगा, यदि वह 8 डीएससी और कम से कम 9 डीएसई से इतिहास में न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करता है। इतिहास का और इतिहास से संबंधित विषय पर शोध प्रबंध लिखता है। ऐसे छात्र को राजनीति विज्ञान / हिंदी में नाबालिग मिलेगा, यदि वह 6 डीएससी और राजनीति विज्ञान / हिंदी के एक डीएसई से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है।

13. केवल ऊपर (5) में उल्लिखित एक छात्र, जो चौथे वर्ष में VII और VIII सेमेस्टर में मेजर / माइनर विषय में एक शोध प्रबंध लिखने का विकल्प चुनता है, उसे 'बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी/डिसिप्लिन (ऑनर्स विद रिसर्च)' से सम्मानित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो बी.एससी. (ऑनर्स) फिजिक्स में और सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में फिजिक्स या माइनर से संबंधित विषय पर एक शोध प्रबंध लिखते हैं, उन्हें 'बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स विद रिसर्च) फिजिक्स' से सम्मानित किया जाएगा। मेजर और माइनर को क्रमशः III(2)(a) और III(3)(a) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर दर्शाया जाएगा।

14. एक छात्र जो शोध प्रबंध लिखने के बजाय सातवीं और आठवीं सेमेस्टर में 'अकादमिक परियोजना' या 'उद्यमिता' का विकल्प चुनता है, और प्रासंगिक जीई, एसईसी, एईसी और आईएपीसी में 28 क्रेडिट अर्जित करता है, उसे अकादमिक परियोजना में माइनर या उद्यमिता से सम्मानित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। अनुशासन (मेजर) और अकादमिक परियोजना / उद्यमिता (मामूली) में अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र (अकादमिक परियोजना / उद्यमिता के साथ सम्मान) के स्नातक में यदि वह अपेक्षित 28 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ है, तो उसे डिसिप्लिन (मेजर) में 'बैचलर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी/डिसिप्लिन (ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट/उद्यमिता) से सम्मानित किया जाएगा।

15. चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम करने वाले छात्र को आठवें सेमेस्टर के पूरा होने के बाद एक उपयुक्त डिग्री प्रदान की जाएगी।

16. बाहर निकलने के विकल्प: प्रति सेमेस्टर एक छात्र द्वारा अर्जित किया जाने वाला न्यूनतम क्रेडिट 18 क्रेडिट है और अधिकतम 26 क्रेडिट है। हालांकि, छात्रों को प्रति सेमेस्टर 22 क्रेडिट अर्जित करने की सलाह दी जाती है। यह प्रावधान छात्रों को सेमेस्टर वार शैक्षणिक भार के लचीलेपन की सुविधा प्रदान करने और अपनी गति से सीखने के लिए है। हालांकि, एक छात्र को, जो सम सेमेस्टर के अंत में बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक प्रमाणपत्र / स्नातक डिप्लोमा / उपयुक्त स्नातक की डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से क्रेडिट की अनिवार्य संख्या को सुरक्षित किया जाना है (विवरण प्रदान किया गया है नीचे दी गई तालिका में)।

क्रम संख्या	पुरस्कार का प्रकार	बाहर निकलने का चरण	पुरस्कार के लिए अनिवार्य क्रेडिट सुरक्षित किया जाना है
1	अध्ययन/अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक प्रमाणपत्र	सेमेस्टर II के सफल समापन के बाद	44
2	अध्ययन/अनुशासन के क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा	सेमेस्टर IV के सफल समापन के बाद	88
3	बैचलर ऑफ (फील्ड ऑफ स्टडी) (ऑनर्स) डिसिप्लिन (सिंगल कोर डिसिप्लिन कोर्स ऑफ स्टडी के लिए)	सेमेस्टर VI के सफल समापन के बाद	132
4	स्नातक (अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का क्षेत्र) (अध्ययन के कई प्रमुख विषयों के पाठ्यक्रम के लिए)	सेमेस्टर VI के सफल समापन के बाद	132
5	स्नातक (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र) (अनुसंधान / शैक्षणिक परियोजनाओं / उद्यमिता के साथ सम्मान) अनुशासन (अध्ययन के एकल कोर अनुशासन पाठ्यक्रम के लिए)	सेमेस्टर VII के सफल समापन के बाद	176
6	स्नातक (अध्ययन के बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का क्षेत्र) (ऑनर्स)	सेमेस्टर VII के सफल समापन के बाद	176

17. पाठ्यक्रम कोड, क्रेडिट की संख्या, व्याख्यान के घटक, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक, उस पाठ्यक्रम को चुनने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए और पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले विभाग को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए लिखा जाएगा। एक छात्र को अध्ययन के लिए इसे चुनने में सक्षम होने के लिए पाठ्यक्रम की पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https://centenary.du.ac.in/?Documents-Documentaries/UGCF-2022-NEP-2020#

आरक्षण और छूट नीतियां

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

कुल सीटों का 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, यदि आवश्यक हो तो अदला-बदली)।
पंजीकरण और प्रवेश के समय उम्मीदवार के पास अपने नाम पर जाति / जनजाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:

उसकी जाति / जनजाति का नाम
क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है
जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान, और
उपयुक्त भारत सरकार की अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति / जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित किया गया है।

प्रवेश के समय उम्मीदवार को वैध मूल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जाति / जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित को अपेक्षित एससी / एसटी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है:

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर. डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त। मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

उम्मीदवार ध्यान दें कि किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति / प्राधिकरण से एससी / एसटी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार एससी या एसटी से संबंधित होता है, तो उम्मीदवार की जाति / जनजाति को उपयुक्त भारत सरकार अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना कॉलेज की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

कॉलेज किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को शिक्षा के माध्यम के आधार पर प्रवेश से मना नहीं करेगा। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी कमी को दूर किया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके महाविद्यालय द्वारा उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी. नॉन-क्रीमी लेयर. सेंट्रल लिस्ट) के लिए सीटों का आरक्षण

27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी - नॉन-क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ओबीसी उम्मीदवार को प्रवेश देते समय, कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है (ओबीसी की स्थिति केंद्रीय (भारत सरकार) ओबीसी की अधिसूचित सूची के आधार पर निर्धारित की जानी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा (वेबसाइट http://ncbc.nic.in/backward Classes/index.html पर उपलब्ध है।)
प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) दिनांक 15.11.1993 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा जारी गैर- क्रीमी लेयर की स्थिति)।

ओबीसी उम्मीदवार जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है केवल, ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्थापना के अनुसार उम्मीदवारों की 'गैर-क्रीमी लेयर' स्थिति के संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि - I) दिनांक 31 मार्च 2016)। प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।

ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेज की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।
ओबीसी उम्मीदवार जो 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है, वे ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे ('नॉन-क्रीमी लेयर' के संबंध में ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि) डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्थापना (Res- I) दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर ' प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2023 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।
ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेज की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सीटों का आरक्षण

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, संदर्भ संख्या ACA.I / EWS का आरक्षण / 2019/63 दिनांक 28 मार्च 2019 और संदर्भ संख्या ACA.I /ईडब्ल्यूएस का आरक्षण/2019/101 दिनांक 15 मार्च 2019, और संदर्भ संख्या ACA.I/EWS का आरक्षण/2019/101 दिनांक 15 मई 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) श्रेणी के लिए आरक्षण के लिए, विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों/कॉलेजों ने प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं। प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2023 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।

सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश

सभी सुपरन्यूमेरी सीटों पर प्रवेश CUET 2023 के माध्यम से होगा। सुपरन्यूमेरी सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2023 में उपस्थित होना होगा।

श्रेणी	
पीडब्ल्यूबीडी	बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति
सीडब्ल्यू	पैरा-मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे/
ईसीए	अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों
खेल	खेल
के म	कश्मीरी प्रवासी
पीएमएसएस	जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति
एसएस	मनोनीत सिक्किमी छात्र
डब्ल्यू कउए (WQ)	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वार्ड कोटा

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडब्ल्यूडी)

- शारीरिक दिव्यांगता

- लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति की स्वयं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता और मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप वस्तुओं), जिसमें शामिल हैं -
- "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन पीड़ित है-

- हाथों या पैरों में सनसनी का नुकसान और साथ ही आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस का नुकसान लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;

- प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें;

- अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उन्नत आयु जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ ठीक" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

- "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;
- "बौनापन" का अर्थ आनुवंशिक स्थिति की एक चिकित्सा है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम की वयस्क ऊंचाई होती है;

- "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;

- "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

दृष्टि क्षीणता

- "अंधापन" का अर्थ उस स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति है, सर्वोत्तम सुधार के बाद दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/100 से कम (स्नेलन) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण को घटाना।

- "कम दृष्टि" का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति होती है। अर्थात्:- दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/100 (स्नेलन) तक बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना।

श्रवण बाधित

- "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति; "सुनने में कठिन" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि है;

बौद्धिक अक्षमता

बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता वाली स्थिति जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-

- "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्केकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां;

"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

मानसिक व्यवहार

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो गिरफ्तार होने या किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता है ।

दिव्यांगता के कारण पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे-

- "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक भड़काऊ, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के कार्ड के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संचार करने की क्षमता प्रभावित होती है ;

- "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है कंपकंपी, पेशीय कठोरता, और धीमी, अचूक गति द्वारा चिह्नित तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध: पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है। .

रक्त विकार

- "हीमोफिलिया" का अर्थ एक अंतर्निहित बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता के नुकसान की विशेषता होती है, जिससे एक नाबालिग के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है।

- "थैलेसीमिया" का अर्थ विरासत में मिली बीमारी का एक समूह है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों को प्रेषित किया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

- "सिकल सेल रोग" क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं, और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं द्वारा एक हेमोलिटिक विकार चरित्र को दर्शाता है; "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन की रिहाई होती है।

बहरा अंधापन सहित बहु-दिव्यांगताएं (उपर्युक्त निर्दिष्ट अक्षमताओं में से एक से अधिक) जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमताओं का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी।

दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में रियायती/शुल्क की छूट

1.विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों और संस्थानों / कॉलेजों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की सदस्यता के अलावा परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। संघ और पहचान पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के अनुसार)।

2. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्यता को पूरा करते हैं और अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) में प्रवेश लेंगे, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

3.कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या 50 दिनांक 03.11.2012 के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉल में रहने वाले शारीरिक विकलांग छात्रों को वापसी योग्य सावधानी शुल्क और मेस शुल्क को छोड़कर सभी छात्रावास शुल्क और शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो छात्र हैं, उन्हें मेस शुल्क का 50% भुगतान करना होगा और शेष 50% मेस शुल्क का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। कॉलेजों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पीडब्ल्यूबीडी छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए जाने हैं।

4.फेलोशिप/वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पीडब्ल्यूबीडी छात्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क/काम/मैसे भुगतान के भुगतान से संबंधित।

फैलोशिप का मूल्य	फीस माफी आदि की छूट
3000/- प्रति माह तक	फीस माफी +50% मेस सब्सिडी
3001/- से 8000/- प्रति माह	फीस माफ लेकिन मेस सब्सिडी नहीं
8001/- और अधिक प्रति माह	कोई शुल्क छूट नहीं और कोई छात्रावास सब्सिडी नहीं

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण (CW)

सभी कॉलेजों में कार्यक्रम-वार इस श्रेणी के तहत उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय के सीडब्ल्यू कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीयूईटी 2022 में उपस्थित होना होगा। ऐसे सभ उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र को उचित लेटरहेड प अपलोड करना होगा:

(ए) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।

(बी) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।

(ग) प्रभारी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय।

(डी) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।

(ई) गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए)

किसी अन्य प्रारूप की अनुमति नहीं होगी। माता-पिता या आश्रित के आईडी कार्ड, मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, सीएसडी कार्ड आदि के रूप में सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण सही प्रारूप में प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करने वाले प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अर्धसैनिक कर्मियों (केवल प्राथमिकता I से V) सहित सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों / विधवाओं (नौ को प्राथमिकता) के लिए वरीयता के निम्नलिखित क्रम में प्रवेश की पेशकश की जा सकती है:

प्राथमिकता I	**कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/बच्चे;**
प्राथमिकता II	रक्षा कर्मियों के बच्चे कार्रवाई में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ सेवा से बाहर हो गए
प्राथमिकता III	सैन्य सेवा के कारण मृत्यु के साथ सेवा में रहते हुए मरने वाले रक्षा कर्मियों की विधवाएं/वाईस;
प्राथमिकता IV	रक्षा कर्मियों के बच्चे सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए;
प्राथमिकता V	वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों के बच्चे। i) परमवीर चक्र ii) अशोक चक्र iii) महावीर चक्र Iv) कीर्ति चक्र v) वीर चक्र vi) शौर्य चक्र vii) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/अग्निशमन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक viii) सेना पदक (वीरता)। नौ सेना पदक (वीरता)। वायु सेना पदक (वीरता) ix) मेंशन-इन-डिस्पैच x) शौर्य के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता पदक
प्राथमिकता VI	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
प्राथमिकता VII	पत्नियां: i. रक्षा कर्मी कार्रवाई में अक्षम और सेवा से बाहर हो गए। ii. रक्षा कर्मी सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए iii. वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी
प्राथमिकता VIII	सेवारत कार्मिकों के वार्ड
प्राथमिकता IX	सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ

कश्मीरी प्रवासियों का पंजीकरण

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए सभी कॉलेजों में 5% तक सीटें आरक्षित हैं। कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार 5% तक सीटें आरक्षित हैं। कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को संभागीय आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
कश्मीरी प्रवासियों कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।

जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।

सिक्किम के छात्रों के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम नामांकन योजना के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा।
सिक्किम सरकार द्वारा नामित सिक्किमी छात्रों को उन कॉलेजों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है (एसी संकल्प 51 दिनांक 05/06/1980 और 122 दिनांक 17/12/1990)। सिक्किम के छात्रों का प्रवेश के साथ-साथ संबंधित कॉलेजों में छात्रावास के आवास के लिए आवंटन कुलपति द्वारा अपने विवेक पर किया जाएगा।

इन मनोनीत सीटों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

कार्यक्रम	सीटों की संख्या
बी॰ ए॰ कार्यक्रम	3
बी॰ ए॰ (ऑनर्स)	1
बी कॉम (ऑनर्स)	2
बी.कॉम.	4
बीएससी भौतिक विज्ञान / अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान	2
बीएससी जीवन विज्ञान / अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान	2

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वार्ड कोटा

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्ड कोटा के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों में प्रवेश अकादमिक परिषद के संकल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार किया जाएगा। पंजीकरण के समय उम्मीदवारों के पास उचित अधिकारियों द्वारा जारी वैध रोजगार प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंजीकरण के समय अपलोड किए गए रोजगार प्रमाण पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पाठ्येतर गतिविधियां (ईसीए) और खेल कोटा

ECA और/या स्पोर्ट्स के लिए सुपरन्यूमेरी कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। ईसीए और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 25% और प्रमाण पत्र / परीक्षण / प्रदर्शन के लिए 75% वेटेज दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in देखें।

महत्वपूर्ण नोट: जिस कार्यक्रम में उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाता है उसका नामकरण अंडर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ- 2022) के कार्यान्वयन के आलोक में बदल सकता है।

निकासी

एक छात्र, जो कॉलेज छोड़ना चाहता है, उसे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर और संलग्न निर्धारित फॉर्म में प्रधानाचार्य को आवेदन करना होगा और आवेदन को उसके पिता / माता / अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। एक छात्र का नाम औपचारिक रूप से वापस लिए जाने तक सभी फीस, जुर्माना और अन्य कॉलेज बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह की औपचारिक वापसी के बिना स्कूल छोड़ने वाले छात्र से तब तक शुल्क आदि लिया जाएगा, जब तक कि उसका नाम काट नहीं दिया जाता। यदि वह देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और उसके शुल्क खाते में समायोजित कर लिया जाएगा।

शुल्क वापसी के नियम

- कॉलेज अपने पोर्टल पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित चरणों का पालन करेगा।
- फीस की वापसी के लिए अपनाए जाने वाले चरणों के लिए कृपया विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर जाएं।

कैद

प्रधानाचार्य के पास किसी भी कक्षा में एक छात्र को हिरासत में लेने या संबंधित विश्वविद्यालय नियम (58 संदर्भ, एसी संख्या 78 दिनांक 15-7-60 और संख्या 269, दिनांक 8-12-60) के तहत विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए भेजे जाने से रोकने की शक्ति है।

पहचान सह पुस्तकालय कार्ड / बस पास

कॉलेज में प्रवेश के बाद प्रत्येक छात्र को एक पहचान सह पुस्तकालय कार्ड जारी किया जाएगा। उन्हें इसे कॉलेज परिसर में पहनना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्र के कॉलेज छोड़ने पर कार्ड वापस करना होगा।
पहचान पत्र और बस पास के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए कृपया कार्यालय में अपने पाठ्यक्रम सहायक से संपर्क करें।

स्मोक फ्री जोन

दिल्ली विश्वविद्यालय तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में भागीदारी कर रहा है। उसी दिशा में एक कदम के रूप में दयाल सिंह कॉलेज में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दयाल सिंह कॉलेज को "तंबाकू मुक्त क्षेत्र" मॉडल के रूप में बनाने की दिशा में सभी छात्रों से सख्ती से काम लेने की अपेक्षा की जाती है।

रैगिंग विरोधी उपक्रमः

सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, यूजीसी ने "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विनियम, 2009" और संगठन के अनुपालन में अधिसूचित किया। 2"डी यूजीसी विनियमों में संशोधन, प्रत्येक छात्र और उसके माता-पिता/अभिभावक के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो नामित वेब साइटों, www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक पर एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य है।

अपने हितधारकों के अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में यूजीसी की पहल के हिस्से के रूप में, यूजीसी ने छात्रों के लिए ऑनलाइन एंटी रैगिंग हलफनामा दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है। संशोधित प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: एक छात्र अपना विवरण उसी वेब साइट (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) पर पहले की तरह जमा करेगा; पढ़ें और पुष्टि करें कि उसने और उसके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए नियमों को पढ़ और समझ लिया है। वह पुष्टि करेगा और सहमत होगा कि वह किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होगा। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: छात्र को उसकी पंजीकरण संख्या और वेबलिंक के साथ एक ई मेल प्राप्त होगा। छात्र अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि छात्र को पीडीएफ हलफनामा प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी किसी भी अग्रेषित ई-मेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें अपने कॉलेज के किसी भी छात्र से प्राप्त होगा, उन छात्रों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने एंटी रैगिंग हलफनामे/उपक्रम जमा किए हैं। उसके कॉलेज में। सूची हर 24 घंटे में अपडेट की जाएगी।

आचार संहिता

करने योग्य

1. नियमित रूप से और समय पर कक्षाओं में भाग लें
2. कक्षाओं में अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें
3. कॉलेज परिसर को साफ रखें
4. कॉलेज के गलियारों / कक्षाओं / पुस्तकालय में मौन रहें
5. केवल खेल के मैदान में खेलें
6. केवल कूड़ेदान में अपशिष्ट पदार्थ फेंक दें
7. पानी पीने के बाद नल बंद कर दें
8. शौचालय में उपयोग के बाद नल बंद कर दें
9. शौचालय का मुख्य दरवाजा बंद रखें
10. स्वच्छ भारत अभियान / वृक्षारोपण अभियान और ऐसी अन्य गतिविधियां में भाग लें
11. अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग व्यक्ति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का ध्यान रखें
12. उपयोग में न होने पर कक्षाओं में पंखे / लाइट बंद कर दें
13. आपदा की स्थिति में उन लोगों की सहायता करने के लिए स्वयंसेवक सहायता
14. संबंधित शिक्षकों को नियत समय पर असाइनमेंट/प्रोजेक्ट जमा करें
15. चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के दिनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र कॉलेज को फिर से शुरू करने के 07 दिनों के भीतर जमा करें
16. भागीदारी के समर्थन में प्रमाण पत्र जमा करें खेल/एनसीसी/एनएसएस/ईसीए में संबंधित शिक्षक द्वारा अनुशंसित
17. कॉलेज परिसर में अपना आई-कार्ड पहनें। इसे कॉलेज में प्रवेश के समय सुरक्षा गार्ड को दिखाना होगा।
18. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि या किसी संदिग्ध वस्तु की उपस्थिति की सूचना सुरक्षा गार्ड/प्रधानाचार्य/प्रशासनिक अधिकारी को दें।
19. कोर्स विशिष्ट डीलिंग विंडो पर अपना काम करते हुए कतार में खड़े हों (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग)।
20. कक्षाओं में ठीक से बैठें
21. सभी के साथ विनम्रता से बात करें
22. नियमित रूप से कॉलेज की वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर जाएँ
23. अपनी बाइक को पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करें
24 अधिसूचित अनुसूची के अनुसार फॉर्म/शुल्क/अन्य देय राशि जमा करें।
25. नियत तारीख के अनुसार पुस्तकालय की किताबें/लैपटॉप लौटाएं
26. अपने निजी पासवर्ड से वाईफाई का प्रयोग करें
27. अपने पासवर्ड का प्रयोग अपने मोबाइल/लैपटॉप में ही करें।

बिल्कुल ना करें

1. कॉलेज के गलियारों में भीड़ न लगाएं
2. कॉलेज के गलियारों में मोबाइल फोन पर जोर से बात न करें
3. कॉलेज की संपत्ति को नष्ट न करें
4. कक्षाओं/गलियारों की दीवारों को खराब न करें
5. रेलिंग/पैरापेट पर न बैठें
6 वॉशरूम के फर्श पर पानी न गिराएं
7. वॉशरूम में नल/दर्पण/कुंड को नुकसान न पहुंचाएं
8. कॉलेज परिसर के अंदर या बाहर किसी के खिलाफ शारीरिक बल का प्रयोग न करें
9. कोई हथियार न रखें
10. क्या करें मौखिक रूप से या अन्यथा किसी भी गतिविधि का अभ्यास न करें जो उत्तर पूर्व की महिलाओं और छात्रों के लिए अपमानजनक हो
11. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना पैदा न करें
12. किसी को रिश्वत देने का प्रयास न करें
13. कॉलेज के शैक्षणिक कामकाज में व्यवधान पैदा न करें
14. रैगिंग/शोषण में शामिल न हों
15. अभद्र भाषा/आक्रामकता/अशोभनीय हावभाव/अश्लील व्यवहार का प्रयोग न करें
16. शराब/धूम्रपान/नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त न हों
17. कॉलेज परिसर के अंदर चार पहिया वाहन न लाएं
18. कॉलेज परिसर में दो पहिया वाहनों के हॉर्न का उपयोग न करें
19. अपनी बाइक को मुख्य कॉलेज लॉबी के सामने पार्क न करें
20. अपना वाईफाई पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें
21. कॉलेज परिसर के भीतर सोशल नेट वर्किंग साइट्स ब्राउज़ न करें
22. ऐसा न करें महाविद्यालय द्वारा जारी लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करें।

नियम

अध्यादेश VII (2) -उपस्थिति नियम

सेमेस्टर I / III / V परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने सभी विषयों को एक साथ शामिल नहीं किया है, व्याख्यान / व्यावहारिक / प्रस्तुतियों के कम से कम दो तिहाई भाग में भाग नहीं लिया है। भाग लेने के लिए आवश्यक ट्यूटोरियल बशर्ते कि सेमेस्टर I / III / V का एक छात्र जो उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, जैसा कि ऊपर दिया गया है, लेकिन सभी विषयों में एक साथ भाग लिया है, कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान / संबंधित सेमेस्टर के दौरान व्यावहारिक / प्रस्तुतियाँ, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं; लेकिन ऐसे उम्मीदवार को उसी शैक्षणिक वर्ष के अगले सेमेस्टर में व्याख्यान और प्रायोगिक में कमी को पूरा करना होगा।

बशर्ते कि द्वितीय/चतुर्थ/छठी सेमेस्टर का एक छात्र जो उपरोक्त के रूप में उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन एक साथ सभी विषयों में भाग लिया है, कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान/व्यावहारिक/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल, संबंधित सेमेस्टर के दौरान आयोजित, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर, आगामी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह आगामी सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर की उपस्थिति को मिलाकर उक्त उपस्थिति की कमी को पूरा करता है।

परन्तु यह और कि संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं, भले ही छात्र ने उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया हो, यदि प्राचार्य की राय में, ऐसा छात्र आगामी शैक्षणिक वर्ष में कमी को पूरा करेगा। बशर्ते यह भी कि द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर के छात्र को द्वितीय/चतुर्थ/छठी सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, यदि एक/दो/तीन शैक्षणिक वर्षों की उपस्थिति को मामला हो सकता है, उम्मीदवार ने संबंधित वर्षों के दौरान आयोजित सभी विषयों में दो-तिहाई उपस्थिति दर्ज की हो।

- एक छात्र के मामले में जिसे वार्षिक एन.सी.सी में भाग लेने के लिए एन.सी.सी. के सदस्य के रूप में चुना गया है। शिविर या नागरिक सुरक्षा कार्य और संबद्ध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए या एक छात्र के मामले में जो राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकित है और संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य / प्रमुख के अनुमोदन से या विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त है या ए छात्र जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा आयोजित खेल या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खेल और खेल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय फिक्स्चर में भाग लेने के लिए चुना जाता है या एक छात्र जिसे इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है, या एक छात्र जिसे प्रादेशिक सेना में समय-समय पर प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होती है या एक छात्र जिसे कॉलेज द्वारा इंटर कॉलेज के खेल या जुड़नार, वाद-विवाद, सेमिनार, संगोष्ठी या सामाजिक कार्य परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है या एक छात्र जिसे पाठ्यचर्या गतिविधियों की आवश्यकता होती है अन्य विश्वविद्यालयों में या इस उद्देश्य के लिए प्रधानाचार्य/कुलपति द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों में आयोजित। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उसके पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान आदि की कुल संख्या की गणना में, अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यान आदि की संख्या। और जैसा कि उस प्रयोजन के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमोदित किया गया है, छात्र द्वारा भाग लिया गया माना जाएगा।

- कॉलेज के प्राचार्य प्रस्तुत किए गए मेडिकल प्रमाणपत्रों के आधार पर उन छात्रों के असाधारण कठिन मामलों पर विचार कर सकते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए थे या वर्ष के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिससे उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए कक्षाओं में भाग लेने से अक्षम कर दिया गया था। यह निर्धारित करना कि क्या उक्त अवधि के दौरान दिए गए व्याख्यान आदि को या उसके किसी भाग को वर्ष की उपस्थिति की गणना के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर तय किया जा सकता है।

- कॉलेजों को प्रत्येक माह के लिए अपने प्रत्येक छात्र की उपस्थिति की स्थिति को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सूचित करना होगा, और स्पष्ट रूप से व्याख्यान/व्यावहारिक होल्ड विषयवार और प्रत्येक छात्र द्वारा भाग लेने की संख्या का संकेत देना होगा।

- एक कॉलेज नोटिस बोर्ड पर शैक्षणिक वर्ष के अंतिम सत्र में कक्षाओं के फैलाव के पांच दिनों के भीतर अपने प्रत्येक छात्र की अंतिम उपस्थिति की स्थिति को सूचित करेगा, उसके बाद पांच दिनों के बाद, एक छात्र, द्वारा और आवेदन कर सकता है महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्त उपखंड (ए) के तहत व्याख्यानों के बहिष्कार के लाभ का दावा करते हैं जो निर्दिष्ट किए जाने के आधार पर और संबंधित दस्तावेजों के साथ होते हैं। समय के भीतर जमा किए गए ऐसे सभी आवेदनों पर कॉलेज के प्राचार्य द्वारा विचार किया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से कम से कम 3 दिन पहले निपटाया जाएगा, जिसमें छात्र उपस्थित होने का इरादा रखता है।

- उपरोक्त पैरा 'सी' में दिए गए व्याख्यानों के बहिष्कार का लाभ किसी भी स्थिति में दिए गए व्याख्यानों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा

- एक विवाहित महिला छात्र के मामले में जिसे मातृ अवकाश दिया गया है, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यानों की कुल संख्या की गणना में जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सेमेस्टर में उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए, उसके मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यान की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

- किसी भी व्यक्ति को उसके निर्देशों के संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं माना जाएगा, जब तक कि उपस्थिति और अन्य शर्तों के संबंध में आवश्यकताओं के अलावा, वह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा लिखित और / या इस तरह की परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता है। मौखिक, जैसा कि उसके द्वारा अपने विवेक से आयोजित किया जा सकता है। कॉलेज के प्राचार्य के पास एक छात्र को उसी कक्षा में रखने की शक्ति होगी जिसमें वह पढ़ रहा है, या उसे विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए नहीं भेजने की स्थिति में, यदि वह उपस्थित नहीं होता है, तो उसे हमेशा माना जाएगा। पूर्वोक्त परीक्षणों में या उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। किसी कॉलेज के प्राचार्य/संस्था के प्रमुख को चेतावनी के बावजूद उपस्थिति में घोर अनियमितता करने वाले छात्र का नाम काट देने की शक्ति होगी, या जब छात्र की अनुपस्थिति का प्रतिशत इतनी लंबी अवधि के लिए हो कि वह अपेक्षित में नहीं डाल सकता है।

अध्यादेश आठवीं (2)

नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र बनने के लिए सीबीसीएस के तहत तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के लिए. पाठ्यक्रम को पूरा करने की अवधि पहले सेमेस्टर में प्रवेश के वर्ष से 6 वर्ष होगी. भले ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के बावजूद छात्र ने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया हो। अधिक विवरण https://www.dsc.du.ac.in/wp-content/uploads/2022/02/ORDINANCES.pdf पर देखें।

अध्यादेश XA- परीक्षा में अनुचित और उच्छृंखल आचरण

- परीक्षा में बेईमानी या अनुचित साधन का प्रयोग शामिल है।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का उत्तर देने में किसी भी अन्य उम्मीदवार की किसी भी तरह से सहायता करना:
- किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य उम्मीदवार से या किसी पुस्तक से सहायता लेना। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का उत्तर देने में कागज, नोट या अन्य सामग्री।
- परीक्षा के संबंध में किसी भी पुस्तक, कागज, नोट्स, या अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में ले जाना, जो परीक्षा के संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है।
- निरंतरता पत्रक की उत्तरपुस्तिका में तस्करी।
- उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ या निरंतरता पत्रक को बाहर निकालना या भेजने की व्यवस्था करना।
- परीक्षा के दौरान या बाद में उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ या निरंतरता पत्रक को बदलना या बदलना।
- परीक्षा में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपित होना।
- जानबूझकर किसी की पहचान का खुलासा करना या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में कोई विशिष्ट चिह्न बनाना।
- पाठ्यक्रम या परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में या उसके आस-पास किसी अन्य उम्मीदवार या अनधिकृत व्यक्ति से बात करना या बात करना।
- सीधे या किसी रिश्तेदार, अभिभावक के माध्यम से संवाद करना या संवाद करने का प्रयास करना और एक परीक्षक के साथ अंक प्रदान करने में उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से खोजना।

- परीक्षा में अव्यवस्थित आचरण में शामिल हैं:
- परीक्षा के समय के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में परीक्षा के संबंध में, अधीक्षक, ड्यूटी पर निरीक्षक या परीक्षा केंद्र पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ या परीक्षा केंद्र में या उसके आसपास किसी अन्य उम्मीदवार के साथ दुर्व्यवहार।
- आधे घंटे की समाप्ति से पहले या उत्तर पुस्तिका प्रभारी निरीक्षक को सौंपे बिना या उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा कक्ष से निकल जाना।
- निरंतरता पत्रक के लिए उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग को जानबूझकर फाड़ देना,
- परीक्षा में खलल डालना या बाधित करना।
- दूसरों को परीक्षा कक्ष छोड़ने या परीक्षा में खलल डालने या बाधित करने के लिए उकसाना।
- परीक्षा केंद्र में अपराध के किसी भी हथियार को ले जाना।
- उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी बेईमान या अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा या उच्छृंखल आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- परीक्षा में बेईमानी या अनुचित साधनों के प्रयोग या अव्यवस्थित आचरण का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार था, और इसके अलावा, विश्वविद्यालय की किसी भी भविष्य की परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। एक और अवधि बताई जाए या विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए और विश्वविद्यालय की किसी भी आगे की परीक्षा में प्रवेश के लिए एक योग्य और उचित व्यक्ति घोषित न किया जाए।

अध्यादेश XV-B छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच अनुशासन बनाए रखना

- अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित हैं।
- कुलपति सभी या ऐसी शक्तियों को, जो वह उचित समझे, प्रॉक्टर को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।
- अध्यादेश के तहत अनुशासन लागू करने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित को घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा:
- दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी संस्थान/विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के किसी भी सदस्य और किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक हमला, या शारीरिक बल प्रयोग की धमकी
- किसी भी हथियार को ले जाना, इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
- कोई भी प्रथा-चाहे मौखिक हो या अन्यथा-महिलाओं के लिए अपमानजनक।
- किसी भी तरह से रिश्वत देने या भ्रष्टाचार करने का कोई भी प्रयास।
- संस्थागत संपत्ति का जानबूझकर विनाश।
- धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना या असहिष्णुता पैदा करना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना।

अध्यादेश XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध

- कॉलेज/विभाग या संस्थान के परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी हिस्से के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन पर किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।
- रैगिंग का कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य या प्रथा घोर अनुशासनहीनता है और इस अध्यादेश के तहत निपटा जाएगा।
- अनुशासन बनाए रखने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करना जो उन्हें उचित लगे, कुलपति अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं आदेश या निर्देश दें कि कोई भी छात्र-
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बेदखल होना; या
- एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज, विभाग या संस्थान में पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए; या
- रुपये की राशि के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है; या
- एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा या परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है; या
- परीक्षा या परीक्षा में संबंधित छात्र या छात्रों का परिणाम रद्द कर दिया जाए।
- महाविद्यालयों के प्राचार्य, हॉल के प्रमुख, संकाय के डीन, विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख, प्राचार्य, मुक्त शिक्षा स्कूल और पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने संबंधित कॉलेजों, संस्थानों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय में संकाय और शिक्षण विभाग जो संबंधित विभागों में संस्थानों, हॉल और शिक्षण के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। वे अपने कॉलेज, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, या अधिकार सौंप सकते हैं, जैसा कि वे इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- कुलपति और प्रॉक्टर की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियम बनाए जाएंगे।
- इन नियमों को, जहां आवश्यक हो, इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के प्राचार्यों, हॉल के प्रमुखों, संकायों के डीन और शिक्षण विभागों के प्रमुखों द्वारा पूरक किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इन नियमों की एक प्रति स्वयं को उपलब्ध कराए।

नोट: अध्यादेश XV-C के अनुसरण में कुलपति का आदेश:

जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा रैगिंग की घटना (ओं) की सूचना कुलपति को दी जाती है, रैगिंग में शामिल छात्रों को आदेश में निर्दिष्ट एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल गैर-छात्रों पर भारत के आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी; वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन प्राप्त करने से पांच वर्ष की अवधि के लिए अपात्र हो जाएंगे। जिन छात्रों के विरुद्ध इस नोट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें नैसर्गिक न्याय के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए निर्णय के बाद सुनवाई दी जाएगी।
संकट में फंसे छात्र 'नेशनल एंटी रैगिंग' हेल्पलाइन *1800-180-5522* पर कॉल कर सकते हैं या *helpline@antiraging.in* पर ईमेल कर सकते हैं।

15वी-डी- यौन उत्पीड़न परिशिष्ट-ए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015

खंड 1 - संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ

1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 कहा जा सकता है।
2. वे भारत में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।
3. वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

खंड 2 - परिभाषाएँ
इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो: -

a. "पीड़ित महिला" का अर्थ है कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी उम्र की महिला चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, जो प्रतिवादी द्वारा यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है;
b. 'अधिनियम' का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) है;
c. "परिसर" का अर्थ उस स्थान या भूमि से है जिस पर एक उच्च शिक्षण संस्थान और उससे संबंधित संस्थागत सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, निवास, हॉल, शौचालय, छात्र केंद्र, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, स्टेडियम, पार्किंग क्षेत्र, पार्क जैसी सेटिंग्स और स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, बैंक काउंटर आदि जैसी अन्य सुविधाएं स्थित हैं और इसके दायरे में विस्तारित परिसर और कवर भी शामिल हैं। संस्थान से आने-जाने के उद्देश्य से, फील्ड ट्रिप, इंटर्नशिप, अध्ययन पर्यटन, भ्रमण, अल्पकालिक प्लेसमेंट, शिविरों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान, सांस्कृतिक त्योहार, खेल बैठकें और ऐसी अन्य गतिविधियां जहां कोई व्यक्ति एचईआई के कर्मचारी या छात्र की क्षमता में भाग ले रहा है;
d. आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
e. "कवर किए गए व्यक्ति" वे व्यक्ति हैं जो यौन उत्पीड़न का आरोप दर्ज करने जैसी संरक्षित गतिविधि में लगे हुए हैं, या जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं जो संरक्षित गतिविधि में लगे हुए हैं और ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी या साथी छात्र या नाराज व्यक्ति का अभिभावक हो सकता है;
f. "कर्मचारी" का अर्थ अधिनियम में परिभाषित व्यक्ति से है और इसमें इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षु, प्रशिक्षु (या किसी अन्य नाम से बुलाया जाता है), इंटर्न, स्वयंसेवक, शिक्षक सहायक, अनुसंधान सहायक, चाहे वे कार्यरत हों या नहीं, क्षेत्र अध्ययन, परियोजनाओं, लघु-यात्राओं और शिविरों में शामिल लोग भी शामिल हैं;

7."कार्यकारी प्राधिकरण" का अर्थ है एचईआई का मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जिसमें एचईआई का सामान्य प्रशासन निहित है। सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों के लिए कार्यकारी प्राधिकरण का अर्थ है केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 या इसके समकक्ष नियमों में दर्शाए गए अनुशासनात्मक प्राधिकरण;

8."उच्च शिक्षा संस्थान" (एचईआई) का अर्थ धारा 2 के खंड (जे) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय, धारा 12 ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अर्थ के भीतर एक कॉलेज और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाने वाला संस्थान है;

9"आंतरिक शिकायत समिति" (आईसीसी) का अर्थ है आंतरिक शिकायत समिति जो इन विनियमों के विनियमन 4 के उप विनियमन (1) के तहत एक एचईआई द्वारा गठित की जाएगी। पहले से ही एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे किसी भी मौजूदा निकाय (जैसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समिति (जीएससीएएसएच)) को आईसीसी के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्ते कि बाद के मामले में एचईआई यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निकाय का गठन इन विनियमों के तहत आईसीसी के लिए आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों से बाध्य होगा;

10."संरक्षित गतिविधि" में एक प्रथा का उचित विरोध शामिल है जिसे स्वयं या दूसरों की ओर से यौन उत्पीड़न कानूनों का उल्लंघन करने के लिए माना जाता है जैसे कि यौन उत्पीड़न की कार्यवाही में भाग लेना, आंतरिक जांच या कथित यौन उत्पीड़न प्रथाओं के साथ सहयोग करना या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जांच में गवाह के रूप में कार्य करना या मुकदमेबाजी में;

11."यौन उत्पीड़न" का अर्थ है-

i. "यौन भावनाओं के साथ एक अवांछित आचरण यदि ऐसा होता है या जो लगातार होता है और जो शत्रुतापूर्ण और डराने वाला वातावरण पैदा करता है, अपमानित करता है या वास्तविक या धमकी भरे प्रतिकूल परिणामों द्वारा समर्पण को प्रेरित करने के लिए गणना की जाती है और इसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक या सभी अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल हैं (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा), अर्थात्; -
   1. यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण;
   2. यौन संबंधों के लिए मांग या अनुरोध;
   3. अश्लील टिप्पणी करना
   4. शारीरिक संपर्क और प्रगति; नहीं तो
   5. पोर्नोग्राफी दिखा रहा हूं"

ii. निम्नलिखित परिस्थितियों में से कोई एक (या एक या एक से अधिक) यदि यह किसी ऐसे व्यवहार के संबंध में मौजूद है या उससे जुड़ा हुआ है जिसमें स्पष्ट या अंतर्निहित यौन संबंध हैं-
   1. यौन संबंधों के लिए परस्पर लाभ के रूप में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा;
   2. काम के संचालन में हानिकारक उपचार का निहित या स्पष्ट खतरा;
   3. संबंधित व्यक्ति की वर्तमान या भविष्य की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा;
   4. एक डराने वाला आक्रामक या शत्रुतापूर्ण सीखने का माहौल बनाना;
   5. अपमानजनक उपचार संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा गरिमा या शारीरिक अखंडता को प्रभावित करने की संभावना है;

12." "छात्र" का अर्थ है एक व्यक्ति जो विधिवत रूप से भर्ती होता है और नियमित मोड या दूरस्थ मोड के माध्यम से अध्ययन के कार्यक्रम का पीछा करता है, जिसमें एचईआई में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं;

बशर्ते कि एक छात्र जो एचईआई परिसर में प्रवेश लेने की प्रक्रिया में है, हालांकि अभी तक भर्ती नहीं हुआ है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उस एचईआई के छात्र के रूप में माना जाएगा, जहां ऐसे छात्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई घटना होती है;

परन्तु एक छात्र जो एचईआई के अलावा किसी अन्य गतिविधि में भागीदार है, जहां ऐसे छात्र को नामांकित किया गया है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उस एचईआई के छात्र के रूप में माना जाएगा, जहां ऐसे छात्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई घटना होती है;

13." "थर्ड पार्टी उत्पीड़न" एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां यौन उत्पीड़न किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप होता है, जो एचईआई का कर्मचारी या छात्र नहीं है, लेकिन किसी अन्य क्षमता में या किसी अन्य उद्देश्य या कारण से एचईआई का आगंतुक है;

14." "उत्पीड़न" का अर्थ है यौन एहसान प्राप्त करने के अंतर्निहित या स्पष्ट इरादे वाले व्यक्ति के साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार;

15." कार्यस्थल का अर्थ है एक एचईआई का परिसर जिसमें शामिल हैं-

1. कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई जो उचित उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है;
2. कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे वह आवासीय हो या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण, खेल या उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता हो;
3. उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के लिए ऐसी यात्रा करने के लिए कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित रोजगार या अध्ययन के दौरान कर्मचारी या छात्र द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान।

धारा 3 – उच्च शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारियां-

a. (i) जहां कहीं आवश्यक हो, कर्मचारियों और छात्रों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध पर अपनी नीति और विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को उचित रूप से शामिल करें, और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अध्यादेशों और नियमों को संशोधित करें;

(ii) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उपबंधों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करना और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना;

(iii) आयोग की सक्षम रिपोर्ट (परिसरों में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए महिलाओं और प्रोग्रामरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय) में दर्शाए अनुसार अधिकारियों, पदाधिकारियों, संकाय और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या कार्यशालाएं आयोजित करना, ताकि उन्हें अधिनियम में और इन विनियमों के अंतर्गत निहित अधिकारों, हकदारियों और जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान और जागरूकता सुनिश्चित की जा सके;

(iv) सभी लिंगों के कर्मचारियों और छात्रों के खिलाफ की जाने वाली सभी लिंग-आधारित हिंसा के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करना, यह स्वीकार करते हुए कि मुख्य रूप से महिला कर्मचारी और छात्र और कुछ पुरुष छात्र और तीसरे लिंग के छात्र यौन उत्पीड़न और अपमान और शोषण के कई रूपों के प्रति संवेदनशील हैं;

(v) सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए प्रतिबद्ध होना;

(vi) सभी स्तरों पर भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध या यौन हमले से मुक्त अपने परिसर को बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना;

(vi) शत्रुतापूर्ण पर्यावरण उत्पीड़न और परस्पर उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(viii) अपने विवरणिका में यौन उत्पीड़न के दंड और परिणामों को विशिष्ट स्थानों या नोटिस बोर्डों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना और संस्थागत समुदाय के सभी वर्गों को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित तंत्र, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के संपर्क विवरण, शिकायत प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी से अवगत कराना। पहले से ही एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे किसी भी मौजूदा निकाय (जैसे यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समिति (जीएससीएएसएच)) को आईसीसी के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्ते कि बाद के मामले में एचईआई यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निकाय का गठन इन विनियमों के तहत आईसीसी के लिए आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों से बाध्य होगा;

(ix) यौन उत्पीड़न के शिकार होने पर कर्मचारियों और छात्रों को उनके लिए उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित करना;

(x) शिकायतों से निपटने, निपटान या सुलह की प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ चलाने आदि के लिए आईसीसी के सदस्यों के लिए नियमित अभिविन्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(xi) कर्मचारियों और छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना, चाहे वह उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर एक प्रमुख शक्ति या पदानुक्रमित संबंध में हों या अंतरंग साथी हिंसा के कारण या साथियों से या एचईआई की भौगोलिक सीमाओं के बाहर के तत्वों से;

(xii) अपने कर्मचारियों और छात्रों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के दोषियों पर कार्रवाई करने और कानून द्वारा अपेक्षित सभी कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होगा और अपने परिसर में यौन उत्पीड़न को रोकने और रोकने के लिए आईसीसी जैसे तंत्र और निवारण प्रणालियां भी स्थापित करेगा;

(xiii) यौन उत्पीड़न को सेवा नियमों के तहत कदाचार के रूप में माना जाए और यदि अपराधी एक कर्मचारी है तो कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू करना;

(xiv) यौन उत्पीड़न को अनुशासनात्मक नियमों के उल्लंघन के रूप में माना जाए (जिसके कारण निष्कासन और निष्कासन हो सकता है) यदि अपराधी एक छात्र है;

(xv) इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आईसीसी की नियुक्ति सहित इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(xvi) आईसीसी द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी करना;
(xvii) दायर मामलों की संख्या और उनके निपटान के ब्यौरे के साथ एक वाषक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और उसे आयोग को प्रस्तुत करना।

a. सहायक उपाय-

1. नियमों, विनियमों या ऐसे किसी अन्य साधन जिसके द्वारा आईसीसी कार्य करेगा, को समय-समय पर अद्यतन और संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत के फैसले और अन्य कानून और नियम कानूनी ढांचे को संशोधित करना जारी रखेंगे जिसके भीतर अधिनियम को लागू किया जाना है।
2. उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यकारी प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से पूर्ण समर्थन देना चाहिए कि आईसीसी की सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। कामकाज के लिए सभी संभव संस्थागत संसाधन दिए जाने चाहिए।

(ख) कार्यालय और भवन अवसंरचना (कंप्यूटर, फोटोकॉपी, ऑडियो-वीडियो, उपकरण आदि), स्टाफ (टाइपिस्ट, परामर्श और कानूनी सेवाएं) के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त आवंटन सहित आईसीसी के कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित।

1. कमजोर समूह विशेष रूप से उत्पीड़न से ग्रस्त हैं और शिकायत करना भी अधिक कठिन लगता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, यौन अभिविन्यास, अल्पसंख्यक पहचान और अलग-अलग विकलांग होने से भेद्यता को सामाजिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। सक्षम समितियों को ऐसी कमजोरियों और विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
2. चूंकि शोध छात्र और डॉक्टरेट उम्मीदवार विशेष रूप से कमजोर हैं, इसलिए एचईआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान पर्यवेक्षण के लिए नैतिकता के लिए दिशानिर्देश रखे गए हैं।
3. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी यौन उत्पीड़न विरोधी नीति की प्रभावकारिता और कार्यान्वयन की नियमित और अर्धवार्षिक समीक्षा करनी चाहिए।
4. सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (अब मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय केंद्रों (आरसीसीबी) के रूप में जाना जाता है) को अपने अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में लिंग पर सत्रों को शामिल करना चाहिए। यह सभी विषयों में होना चाहिए और अधिमानतः यूजीसी सक्षम रिपोर्ट का उपयोग करके मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए जो इस संबंध में सांकेतिक मॉड्यूल प्रदान करता है।
5. उच्च शिक्षा संस्थानों में आयोजित प्रशासकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में लिंग संवेदीकरण और यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर एक मॉड्यूल होना चाहिए। एचईआई समुदाय के सभी वर्गों के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जानी हैं।
6. परामर्श सेवाओं को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत बनाया जाना चाहिए और इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए।
7. बड़े परिसरों वाले कई उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रकाश व्यवस्था की कमी है और संस्थागत समुदाय द्वारा असुरक्षित स्थानों के रूप में अनुभव किया जाता है। पर्याप्त प्रकाश बुनियादी ढांचे और रखरखाव का एक आवश्यक पहलू है।
8. महिला सुरक्षा स्टाफ के अच्छे अनुपात या संतुलन सहित पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा आवश्यक है। सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्ति की शर्तों के एक भाग के रूप में लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
9. एचईआई को विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से एचईआई के विभिन्न वर्गों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और मुख्य भवनों के बीच बड़े परिसरों के भीतर, और विशेष रूप से जिनके पास डे स्कॉलर्स के लिए अच्छी पहुंच नहीं है। सुरक्षा की कमी के साथ-साथ उत्पीड़न तब बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विश्वसनीय परिवहन पर विचार किया जा सकता है ताकि कर्मचारी और छात्र पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं में देर तक काम कर सकें और शाम को कार्यक्रमों में भाग ले सकें।
10. आवासीय उच्च शिक्षा संस्थानों को महिला छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक युवा महिलाओं की बढ़ती आबादी के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रावास आवास वांछनीय है जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
11. महिला छात्रों की सुरक्षा के लिए चिंता का हवाला पुरुष छात्रों की तुलना में छात्रावासों में महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण नियम लागू करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। कैंपस सुरक्षा नीतियों के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण नहीं होना चाहिए, जैसे कि अति निगरानी या पुलिसिंग या आंदोलन की स्वतंत्रता में कटौती करना, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों और छात्रों के लिए।
12. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से अनिवार्य हैं। महिलाओं के मामले में इसमें लिंग संवेदनशील डॉक्टरों और नर्सों के साथ-साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी शामिल होनी चाहिए।

15.कॉलेजों में महिला विकास प्रकोष्ठों को पुनर्जीवित किया जाएगा और उन्हें वित्त पोषित किया जाएगा ताकि वे लैंगिक संवेदनशीलता के लिए आवश्यक गतिविधियों की श्रृंखला को पूरा करने में सक्षम हो सकें और यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों और आईसीसी के कामकाज से स्वायत्त रह सकें। साथ ही वे आईसीसी के परामर्श से लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार करेंगे और नियमित आधार पर परिसरों में यौन उत्पीड़न विरोधी नीतियों का प्रसार करने में मदद करेंगे। इन कार्यशालाओं को अभिनव, आकर्षक और गैर-यांत्रिक बनाने के लिए 'सांस्कृतिक' स्थान और 'औपचारिक शैक्षणिक स्थान' को सहयोग करने की आवश्यकता है।

16.छात्रावास वार्डन, प्रोवोस्ट, प्रधानाचार्य, कुलपति, विधि अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को जहां आवश्यक हो, नियमों या अध्यादेशों में संशोधन के माध्यम से जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए।

धारा 4 – शिकायत निवारण तंत्र

1. प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकरण यौन उत् पीड़न के खिलाफ लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक अंतर्निहित तंत्र के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करेगा। आईसीसी की निम्नलिखित संरचना होगी: –

    a. एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित शैक्षिक संस्थान में वरिष्ठ स्तर पर नियोजित एक महिला संकाय सदस्य होगी (विश्वविद्यालय के मामले में प्रोफेसर से कम नहीं, और कॉलेज के मामले में एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर से नीचे नहीं);

बशर्ते कि यदि कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को उप-धारा 2 (ओ) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों से नामित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को उसी नियोक्ता या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामित किया जाएगा;

a. दो संकाय सदस्य और दो गैर-शिक्षण कर्मचारी, अधिमानतः महिलाओं के कारण के लिए प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या जिनके पास कानूनी ज्ञान है, कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा नामित;
b. तीन छात्र, यदि मामले में छात्र शामिल हैं, जिन्हें पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए क्रमशः स्नातक, मास्टर और शोध विद्वान स्तरों पर नामांकित किया जाएगा;
c. महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों या संघों में से एक सदस्य या कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा नामित यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति।

(2)आईसीसी के कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होंगी।

(3)एचईआई में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्ति, जैसे कुलपति, प्रति-कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन, विभागाध्यक्ष आदि, अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी के सदस्य नहीं होंगे।

(4)आईसीसी के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा। एचईआई एक ऐसी प्रणाली भी लागू कर सकते हैं जिससे आईसीसी के एक तिहाई सदस्य हर साल बदल सकते हैं।

(5).गैर-सरकारी संगठनों या संघों के बीच नियुक्त सदस्य को कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसे शुल्क या भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो निर्धारित किए जाएं।

(6). जहां पीठासीन अधिकारी या आंतरिक समिति का कोई सदस्य:

a. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है; नहीं तो
b. उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या उसके खिलाफ लागू किसी कानून के तहत अपराध की जांच लंबित है; नहीं तो
c. उन्हें किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है; नहीं तो
d. यदि उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि वह अपने पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा।

धारा 5 - आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की जिम्मेदारियां –

आंतरिक शिकायत समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. यदि कोई कर्मचारी या छात्र पुलिस में शिकायत दर्ज करना चुनता है तो सहायता प्रदान करें;
2. शिकायतकर्ता के अधिकारों को कम किए बिना उचित और निष्पक्ष सुलह के माध्यम से मुद्दों का अनुमान लगाने और संबोधित करने के लिए विवाद निवारण और संवाद के तंत्र प्रदान करना, और विशुद्ध रूप से दंडात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को कम करना जो आगे असंतोष, अलगाव या हिंसा का कारण बनता है;
3. व्यक्ति की पहचान का खुलासा न करके शिकायतकर्ता की सुरक्षा की रक्षा करें, और शिकायत के लंबित रहने के दौरान स्वीकृत अवकाश या उपस्थिति की आवश्यकता में छूट या किसी अन्य विभाग या पर्यवेक्षक को स्थानांतरण के माध्यम से अनिवार्य राहत प्रदान करें, या अपराधी के स्थानांतरण का प्रावधान भी करें;
4. यह सुनिश्चित करना कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाता है; और
5. कवर किए गए व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध या प्रतिकूल कार्रवाई का निषेध सुनिश्चित करें क्योंकि कर्मचारी या छात्र संरक्षित गतिविधि में लगे हुए हैं।

धारा 6 - शिकायत करने और जांच करने की प्रक्रिया –

आईसीसी समयबद्ध तरीके से शिकायत करने और जांच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। एचईआई आईसीसी को तेजी से और आवश्यक गोपनीयता के साथ जांच करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

धारा 7 - यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की प्रक्रिया –

पीड़ित व्यक्ति को घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर और पिछली घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में आईसीसी को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

परन्तु जहां ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती है, वहाँ पीठासीन अधिकारी या आंतरिक समिति का कोई सदस्य लिखित में शिकायत करने के लिए व्यक्ति को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा;

बशर्ते कि आईसीसी लिखित में दिए गए कारणों के लिए समय सीमा को तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, अगर वह संतुष्ट है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जो व्यक्ति को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोकती थीं। मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, सह-छात्र, मनोवैज्ञानिक या पीड़ित का कोई अन्य सहयोगी उन स्थितियों में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक क्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत करने में असमर्थ है।

धारा 8 - जांच करने की प्रक्रिया-

1. आईसीसी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवादी को शिकायत की एक प्रति भेजेगा।
2. शिकायत की प्रति प्राप्त होने पर, प्रतिवादी दस दिनों की अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची, और गवाहों के नाम और पते के साथ शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करेगा।
3. शिकायत प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी की जानी है। सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, को जांच पूरी होने के दस दिनों के भीतर एचईआई के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। निष्कर्षों या सिफारिशों की प्रति शिकायत के दोनों पक्षों को भी दी जाएगी।
4. एचईआई का कार्यकारी प्राधिकरण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर कार्य करेगा, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा उस समय के भीतर निष्कर्षों के खिलाफ अपील दायर नहीं की जाती है।
5. आईसीसी के निष्कर्षों या सिफारिशों के खिलाफ किसी भी पक्ष द्वारा सिफारिशों की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एचईआई के कार्यकारी प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
6. यदि एचईआई का कार्यकारी प्राधिकरण आईसीसी की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है, तो यह आईसीसी और कार्यवाही के दोनों पक्षों को सूचित करने के लिए लिखित कारणों को दर्ज करेगा। दूसरी ओर यदि आईसीसी की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया जाता है, तो दस दिनों के भीतर उत्तरदायी कारण बताओ नोटिस उस पक्ष को दिया जाएगा जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। एचईआई का कार्यकारी प्राधिकरण जवाब पर विचार करने या पीड़ित व्यक्ति को सुनने के बाद ही आगे बढ़ेगा।
7. पीड़ित पक्ष मामले को सुलझाने के लिए सुलह की मांग कर सकता है। सुलह के आधार के रूप में कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एचईआई आईसीसी के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, सुलह प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा। जहां भी संभव हो, पीड़ित पक्ष की पूर्ण संतुष्टि के लिए संघर्ष का समाधान, विशुद्ध रूप से दंडात्मक हस्तक्षेप के लिए पसंद किया जाता है।
8. पीड़ित पक्ष या पीड़ित या गवाह या अपराधी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से जांच की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी।

धारा 9 - अंतरिम निवारण- उच्च शिक्षा संस्थान कर सकता है,

1. शिकायतकर्ता या प्रतिवादी को किसी अन्य अनुभाग या विभाग में स्थानांतरित करें ताकि संपर्क या बातचीत में शामिल जोखिमों को कम किया जा सके, यदि आईसीसी द्वारा ऐसी सिफारिश की जाती है;
2. तीन महीने तक की अवधि के लिए स्थिति और लाभों की पूर्ण सुरक्षा के साथ पीड़ित को छुट्टी प्रदान करना;
3. प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के काम या प्रदर्शन या परीक्षण या परीक्षाओं पर रिपोर्ट करने या मूल्यांकन करने से रोकें;
4. सुनिश्चित करें कि अपराधियों को पीड़ित से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी जाती है, और जहां भी आवश्यक हो, यदि कोई निश्चित खतरा है, तो परिसर में उनके प्रवेश को रोकें;
5. यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के परिणामस्वरूप प्रतिशोध और उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतकर्ता को सुरक्षा और संरक्षण का अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सख्त उपाय करें।

धारा 10 - दंड और मुआवजा-

1. यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को एचईआई के सेवा नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा, यदि अपराधी एक कर्मचारी है।
2. जहां प्रतिवादी एक छात्र है, अपराध की गंभीरता के आधार पर, उच्च शिक्षा संस्थान मैं कर सकता हूं, -
    a. छात्र के विशेषाधिकारों को रोकना जैसे कि पुस्तकालय, लेखा परीक्षक, निवास के हॉल, परिवहन, छात्रवृत्ति, भत्ते और पहचान पत्र तक पहुंच;
    b. एक विशिष्ट अवधि के लिए परिसर में प्रवेश को निलंबित या प्रतिबंधित करना;
    c. संस्थान की सूची से नाम को निष्कासित और हटा दिया जाए, जिसमें अपराध की आवश्यकता होने पर पुनः प्रवेश से इनकार करना शामिल है;
    d. अनिवार्य परामर्श और, या, सामुदायिक सेवाओं के प्रदर्शन जैसे सुधारात्मक दंड प्रदान करना।
3. पीड़ित व्यक्ति मुआवजे के भुगतान का हकदार है। उच्च शिक्षा संस्थान आईसीसी द्वारा अनुशंसित और कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए मुआवजे के भुगतान के लिए निर्देश जारी करेगा, जिसे अपराधी से वसूल किया जाएगा। देय मुआवजे का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?
    a. मानसिक आघात, पीड़ा, पीड़ा और पीड़ित व्यक्ति को होने वाला संकट;
    b. यौन उत्पीड़न की घटना के कारण कैरियर के अवसर का नुकसान;
    3. शारीरिक, मनोरोग उपचार के लिए पीड़ित द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय;
1. 4. कथित अपराधी और पीड़ित की आय और स्थिति; और
    5.एकमुश्त या किस्तों में ऐसे भुगतान की व्यवहार्यता।

धारा 11 - तुच्छ शिकायत के खिलाफ कार्रवाई

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यौन उत्पीड़न से कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ प्रावधान किए जाने चाहिए और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर प्रचारित किया जाना चाहिए। यदि आईसीसी यह निष्कर्ष निकालता है कि लगाए गए आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण थे या शिकायत यह जानते हुए की गई थी कि यह असत्य है, या जांच के दौरान जाली या भ्रामक जानकारी प्रदान की गई है, तो शिकायतकर्ता को नियम 10 के उप-विनियमों (1) के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा, यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है और उस विनियमन के उप-विनियमन (2) के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता एक छात्र है। हालांकि, केवल शिकायत को साबित करने या पर्याप्त सबूत प्रदान करने में असमर्थता शिकायतकर्ता के खिलाफ ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। किसी भी कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जांच के बिना शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को स्थापित नहीं किया जाएगा।

धारा 12 - गैर-अनुपालन के परिणाम

1. आयोग, किसी भी संस्था के संबंध में, जो कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए निर्धारित दायित्वों और कर्तव्यों का पूरी तरह से उल्लंघन करेगा या बार-बार पालन करने में विफल रहता है, उचित नोटिस प्रदान करने के बाद निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई करेगा: -
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्यता की घोषणा को वापस लेना।
    - उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत आयोग द्वारा रखी गई सूची से विश्वविद्यालय या कॉलेज का नाम हटाना;
    - संस्था को आवंटित किसी भी अनुदान को रोकना;
    - आयोग के किसी भी सामान्य या विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;

•

a. समाचार पत्रों या अन्य उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोटिस के माध्यम से रोजगार या प्रवेश के लिए संभावित उम्मीदवारों सहित आम जनता को सूचित करना, यह घोषणा करते हुए कि संस्थान यौन उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति प्रदान नहीं करता है;
b. कॉलेज के मामले में संबद्धता वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की सिफारिश करना;
c. सम-विश्र्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम-विश्र्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करना;
d. राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा वापस लेने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार की सिफारिश करना।
e. अपनी शक्तियों के भीतर ऐसी अन्य कार्रवाई करना, जो वह उचित समझे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में उपबंधित ऐसे अन्य दंड ों को तब तक लगाए जब तक कि संस्था इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन न कर ले।

2. आयोग द्वारा इन विनियमों के तहत तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्था को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया हो और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

ई.सी. दिनांक 28.02.2017 के क्रमांक सं. 38-क के तहत निर्णय:
कार्यकारी परिषद ने आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा के पालन से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर)] के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के मामले पर विचार किया।

एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) में यथा निर्धारित समय-सारणी बनाए रखने के लिए विभिन्न अनिवार्यताओं/कारणों से कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित करने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कार्यकारी परिषद ने अधिनियम में उल्लिखित समय सीमा के भीतर आईसीसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर कार्यकारी परिषद की एक उप-समिति गठित करने का संकल्प लिया: -

1. प्रति-कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रॉक्टर - सदस्य
3. कार्यकारी परिषद का एक निर्वाचित सदस्य - सदस्य (कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा)

नोट: यदि उपर्युक्त उप-समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से एक अतिरिक्त महिला सदस्य को भी कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अलावा, समिति आवश्यकता पड़ने पर एक वकील/ कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने के लिए अधिकृत है।

कार्यकारी परिषद ने आगे संकल्प लिया कि उप-समिति के कार्यों और शक्तियों के संबंध में अधिदेश कार्यकारी परिषद की ओर से कार्य करने के लिए होगा और इस तरह से लिए गए निर्णय कुलपति के अनुमोदन से प्रभावी किए जा सकते हैं और इसकी पुष्टि के लिए कार्यकारी परिषद को सूचित किया जा सकता है।.

पाठ्येतर गतिविधियां (ईसीए) और खेल कोटा

ECA और/या स्पोर्ट्स के लिए सुपरन्यूमेरी कोटे के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET 2022 में उपस्थित होना होगा। ईसीए और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी सीटों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर को 25% और प्रमाण पत्र / परीक्षण / प्रदर्शन के लिए 75% वेटेज दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in देखें।

महत्वपूर्ण नोट: जिस कार्यक्रम में एक उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाता है, उसका नामकरण अंडर-ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ- 2022) के कार्यान्वयन के आलोक में बदल सकता है।

खेल कोटा प्रवेश सीटें *(2023)*

क्रम संख्या	खेल का नाम	पुरुष	महिला
1	तीरंदाजी	1	1
2	एथलेटिक्स	5	5
3	बास्केटबॉल	4	1
4	मुक्केबाजी	8	4
5	शतरंज	1	1
6	क्रिकेट	4	0
7	फुटबॉल	8	0
8	कबड्डी	4	3
9	निशानेबाजी	1	1
10	टेबल टेनिस	1	1
11	वॉलीबॉल	4	3

•

ईसीए कोटा प्रवेश सीटें (2023)

नोट: ईसीए और खेल के प्रत्येक कॉलेजों के लिए (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) कम से कम 1% का प्रतिनिधित्व, ईसीए और स्पोर्ट्स के लिए एक साथ कुल मिलाकर 5% की सीमा के अधीन (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) अनिवार्य हैं।

कॉलेज का नाम	**श्रेणी**	**उप-श्रेणी कोड**	**उप-श्रेणी**	**सीटों की संख्या**
दयाल सिंह कॉलेज (एम)	रचनात्मक लेखन	1a.	रचनात्मक लेखन (हिंदी)	2
		1b.	रचनात्मक लेखन (अंग्रेज़ी)	2
		2a.	भारतीय शास्त्रीय	2
		2b.	भारतीय लोक	2
	नृत्य	2c.	वेस्टर्न	2
		2d	नृत्यकला	
	बहस	3a.	बहस (हिन्दी)	2
		3b.	बहस (अंग्रेजी)	2
		4a.	फोटोग्राफी	1
	डिजिटल मीडिया	4b.	फिल्म बनाने	1
		4c.	एनीमेशन	
	ललित कला	5a.	चित्र और पेंटिंग	3
		5b.	मूर्ति	
	संगीत (वोकल)	6a.	भारतीय (शास्त्रीय और लाइट)	2
		6b.	पश्चिमी (शास्त्रीय और प्रकाश)	2
		7a. 7c.	तबला ढोलक	1
		7d.	पखवाज	
		7e.	घटम	
	संगीत (वाद्य: भारतीय)	7f.	हरमोनियम	
		7g.	भारतीय बांसुरी	

		7h.	सितार	1	
		7i.	भारतीय वायलिन		
		7j.	सरोद		
		7k.	संतूर		
		8a.	ड्रम		
		8b.	पश्चिमी बांसुरी		
	संगीत (वाद्य: पश्चिमी)	8c.	सैक्सोफोन		
		8d.	गिटार (सीसा)		
		8e.	गिटार (बास)	1	
		8f.	पश्चिमी वायलिन		
		8g.	कीबोर्ड	1	
	थिएटर	9	थिएटर	3	
	प्रश्नोत्तरी	10	प्रश्नोत्तरी	2	
	देवत्व *	11	देवत्व	1	
	एनसीसी	12	एनसीसी	4	
	एनएसएस	13	एनएसएस	3	
	योग	14	योग	1	
				41	

शुल्क संरचना 2023-24

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	वार्षिक शुल्क			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	बी कॉम ऑनर्स	14035	11825	11825	11825
2	बी कॉम प्रोग्राम	14035	11825	11825	11825
3	बी ए प्रोग्राम	13535	11325	11325	11325
4	बी ए ऑनर्स अर्थ शास्त्र	13535	11325	11325	11325
5	बी ए ऑनर्स अंग्रेज़ी	13535	11325	11325	11325
6	बी ए ऑनर्स भूगोल	13535	12825	12825	12825
7	बी ए ऑनर्स हिंदी	13535	11325	11325	11325
8	बी ए ऑनर्स इतिहास	13535	11325	11325	11325
9	बी ए ऑनर्स दर्शन शास्त्र	13535	11325	11325	11325
10	बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान	13535	11325	11325	11325
11	बी ए ऑनर्स पंजाबी	13535	11325	11325	11325
12	बी ए ऑनर्स संस्कृत	13535	11325	11325	11325
13	बी ए ऑनर्स उर्दू	13535	11325	11325	11325
14	बी एससी जीवनविज्ञान	15190	12980	12980	12980
15	बी एससी भौतिक विज्ञान कंप्यूटर साइंस	14590	12380	12380	12380
16	बी एससी भौतिक विज्ञान	15190	12980	12980	12980
17	बी एससी ऑनर्स वनस्पति विज्ञान	15590	13380	13380	13380
18	बी एससी ऑनर्स रसायन विज्ञान	15190	12980	12980	12980
19	बी एससी ऑनर्स संगणक विज्ञान	15530	13320	13320	13320
20	बी एससी ऑनर्स गणित	14590	12380	12380	12380
21	बी एससी ऑनर्स भौतिक विज्ञान	15590	13380	13380	13380
22	बी एससी ऑनर्स जन्तु विज्ञान	15590	13380	13380	13380
	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शुल्क	1080	70	70	70
1	एम एससी गणित	9846	8686		
2	एम ए अंग्रेज़ी	9846	8686		
	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शुल्क	3293	2252		
	नोट : इनमें परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है।				

आवंटन सह प्रवेश अनुसूची 2023

	कार्य	समय और दिनांक
	सीएसएएस के चरण I में पहले से पंजीकृत एमए उम्मीदवारों के लिए सुधार विंडो।	सोमवार, 17 जुलाई 2023 गुरुवार, 20 जुलाई 2023 शाम 04:59 बजे तक
सीएसएएस का चरण I और चरण II	सीएसएएस में प्रोग्राम और एमसी कॉलेजों के लिए प्राथमिकता भरना	सोमवार, 17 जुलाई 2023 सोमवार, 24 जुलाई 2023 शाम 04:59 बजे तक
	सीएसएएस प्राथमिकताओं को स्वतः लॉक करता है	05:00 अपराह्न गुरुवार, 27 जुलाई 2023
	सिम्युलेटेड सूची की घोषणा	05:00 अपराह्न शनिवार, 29 जुलाई, 2023
सिम्युलेटेड सूची	प्राथमिकता परिवर्तन विंडो	शाम 05:00 बजे शनिवार, 29 जुलाई, 2023 से रात 11:59 बजे तक, रविवार, 30 जुलाई, 2023
	प्रथम सीएसएएस आवंटन सूची की घोषणा	05:00 अपराह्न मंगलवार, 1 अगस्त 2023
सीएसएएस आवंटन और प्रवेश का पहला दौर	उम्मीदवारों को आवंटित सीट "स्वीकार" करनी होगी	शाम 5:00 बजे मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 से शाम 04:59 बजे तक, शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023
	कॉलेज को ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित और स्वीकृत करना होगा	मंगलवार, 1 अगस्त 2023 शाम 5:00 बजे शनिवार, 5 अगस्त 2023 अपराह्न 04:59 बजे तक
	अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि	रविवार, 6 अगस्त 2023 सायं 04:59 बजे तक
सीएसएएस आवंटन और प्रवेश का दूसरा दौर	रिक्त सीटों का प्रदर्शन	05:00 अपराह्न सोमवार, 7 अगस्त, 2023
	उच्च प्राथमिकताओं को पुनः क्रमित करने के लिए विंडो	सोमवार, 7 अगस्त, 2023 शाम 5:00 बजे से मंगलवार, 8 अगस्त, 2023 शाम 04:59 बजे तक
	दूसरी सीएसएएस आवंटन सूची की घोषणा	05:00 अपराह्न गुरुवार, 10 अगस्त 2023
	उम्मीदवारों को आवंटित सीट "स्वीकार" करनी होगी	05:00 बजे गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 से 04:59 बजे तक रविवार, 13 अगस्त, 2023
	कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित और अनुमोदित करना होगा	05:00 अपराह्न गुरुवार, 10 अगस्त 2023 सोमवार, 14 अगस्त 2023 शाम 04:59 बजे तक
	अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि	शाम 04:59 बजे तक, मंगलवार, 15 अगस्त, 2023
कक्षाओं का प्रारंभ: बुधवार, अगस्त		
सीएसएएस आवंटन और प्रवेश का दूसरा दौर	रिक्त सीटों का प्रदर्शन	05:00 अपराह्न गुरुवार, 17 अगस्त 2023
	मध्य-प्रवेश, उच्च प्राथमिकताओं को पुनः क्रमित करने के लिए विंडो	05:00 अपराह्न गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 से 04:59 अपराह्न तक शनिवार, 19 अगस्त, 2023
	तीसरी सीएसएएस आवंटन सूची की घोषणा	05:00 अपराह्न मंगलवार, 22 अगस्त 2023
	उम्मीदवारों को आवंटित सीट "स्वीकार" करनी होगी	05:00 बजे मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 से 04:59 बजे तक गुरुवार, 24 अगस्त, 2023
	कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित और अनुमोदित करना होगा	शाम 05:00 बजे मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 शाम 04:59 बजे तक, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023
	अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि	शाम 04:59 बजे तक, शनिवार, 26 अगस्त, 2023

विश्वविद्यालय रिक्त सीटों की उपलब्धता, यदि कोई हो, के आधार पर और अधिक राउंड की घोषणा कर सकता है।

सेमेस्टर I, III, V और VII के लिए स्नातक कार्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र बुधवार 16 अगस्त, 2023 को शुरू होगा।

दयाल सिंह कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

\https://www.dsc.du.ac.in/ principal@dsc.du.ac.in